



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड -I)

2022-2023



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्यप्रदेश सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड – I)

2022 – 2023

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

खण्ड-I

विषय		पृष्ठ
▪	विषय सूची	i-ii
▪	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	iii-iv
▪	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vi-xi
विवरण पत्रक संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक	1-2
विवरण पत्रक संख्या 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक अनुलग्नक – रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश	3-8
विवरण पत्रक संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	9-11
विवरण पत्रक संख्या 4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	12-17
विवरण पत्रक संख्या 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक	18-20
विवरण पत्रक संख्या 6	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक	21-24
विवरण पत्रक संख्या 7	सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक	25-26
विवरण पत्रक संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक	27
विवरण पत्रक संख्या 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक	28
विवरण पत्रक संख्या 10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक	29
विवरण पत्रक संख्या 11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक	30
विवरण पत्रक संख्या 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक	31-34
विवरण पत्रक संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश	35-36
▪	वित्त लेखे पर टिप्पणियां	37-50

खण्ड-II

भाग-I :

विवरण पत्रक संख्या 14	राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	53-92
विवरण पत्रक संख्या 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	93-133
विवरण पत्रक संख्या 16	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक	134-242
विवरण पत्रक संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक	243-255
विवरण पत्रक संख्या 18	राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक	256-285
विवरण पत्रक संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक	286-328
विवरण पत्रक संख्या 20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक	329-332
विवरण पत्रक संख्या 21	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण पत्रक	333-346
विवरण पत्रक संख्या 22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक	347-349

विषय-सूची – समाप्त

विषय	पृष्ठ
भाग-II :	
परिशिष्ट संख्या I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय 351-354
परिशिष्ट संख्या II	राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय 355-356
परिशिष्ट संख्या III	राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सहायता (संस्थावार एवं योजनावार) 357-371
परिशिष्ट संख्या IV	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे 372-380
परिशिष्ट संख्या V	योजनाओं पर व्यय 381-402
	अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं)
	ब. राज्य योजनाएं
परिशिष्ट संख्या VI	राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर) (अलेखापरीक्षित राशियाँ) 403-412
परिशिष्ट संख्या VII	शेषों की स्वीकृति एवं पुनर्मिलान (जैसा विवरण 18 एवं 21 में दर्शाया गया है) 413
परिशिष्ट संख्या VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम 414-417
परिशिष्ट संख्या IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची 418-422
परिशिष्ट संख्या X	वेतन एवं अवेतन हिस्से के पृथक्करण सहित अनुरक्षण व्यय 423-431
परिशिष्ट संख्या XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं 432-436
परिशिष्ट संख्या XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं 437
परिशिष्ट संख्या XIII	राज्यों के पुनर्गठन – शेषों की मदें जिनका बंटवारा राज्यों के मध्य/बीच अंतिम रूप से नहीं किया गया है 438

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से/में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड-I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड-II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही मध्यप्रदेश सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित है।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे मध्यप्रदेश सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए मध्यप्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी)-I के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत मध्यप्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा व्हाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और मध्यप्रदेश सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (विवरण-9, विवरण 10(ii), विवरण-20 एवं विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक तथा विवरण संख्या-7 (अनुभाग-3), 8, 12, 13, 15, 16, 18 एवं 19 में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ/पाद टिप्पणियाँ/अतिरिक्त प्रकटन) और परिशिष्ट (VI, VIII, IX एवं XII) सीधे मध्यप्रदेश सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी)-I के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक : 08 दिसम्बर 2023

स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन

1. मध्यप्रदेश राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखाओं के साथ ही राजस्व और पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों तथा लेखाओं में दर्ज शेषों से परिकल्पित राज्य सरकार के लोक ऋण और दायित्व तथा परिसंपत्तियों के लेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखे के साथ में विनियोग लेखे भी होते हैं जिनमें अनुदान/विनियोजन के विरुद्ध व्यय की तुलना प्रस्तुत होती है।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग-I :- समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (भारित व्यय) होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

समेकित निधि में दो अनुभाग होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत ("लोक ऋण, ऋण और अग्रिम" सहित)। ये अनुभाग आगे "प्राप्तियाँ" तथा "व्यय" के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध होते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग तीन क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, "कर राजस्व", "करेतर राजस्व" एवं "सहायता अनुदान तथा अंशदान"। ये तीन क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे - "वस्तु एवं सेवा कर", "आय एवं व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएँ" आदि। पूंजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग के अन्तर्गत क्षेत्र, उपक्षेत्र (सेक्टर, सब सेक्टर) नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, "सामान्य सेवाएँ", "सामाजिक सेवाएँ", "आर्थिक सेवाएँ" और "सहायता अनुदान तथा अंशदान"। राजस्व व्यय अनुभाग के ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे - "राज्य के अंग" "शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति" आदि। पूंजीगत व्यय अनुभाग सात क्षेत्रों (सेक्टर) में उप-विभाजित होता है यथा - "सामान्य सेवाएँ", "सामाजिक सेवाएँ", "आर्थिक सेवाएँ", "लोक ऋण", "ऋण तथा अग्रिम", "अंतर्राज्यीय परिशोधन" तथा "आकस्मिकता निधि को अन्तरण"।

भाग-II : आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्यशीर्ष को नामे कर की जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए मध्यप्रदेश सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 1,000 करोड़ है।

भाग-III : लोक लेखा : अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे - अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से दर्ज होने तक, दोनों अल्पकालिक है) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहती है। लोक लेखे में छः क्षेत्र (सेक्टर) समाविष्ट है, यथा - "लघु बचतें", "भविष्य निधियाँ", "आरक्षित निधियाँ", "जमा एवं अग्रिम", "उचंत एवं विविध", "प्रेषण" तथा "रोकड़ शेष"। ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उप क्षेत्रों में उप-विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं होता है।


वित्त लेखे की मार्गदर्शिका – जारी

3. शासकीय लेखा छः स्तरीय वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता हैं, यथा – मुख्यशीर्ष (चार अंक), उप मुख्यशीर्ष (दो अंक), लघुशीर्ष (तीन अंक), उपशीर्ष (चार अंक), विस्तृत शीर्ष (दो या तीन अंक) तथा उद्देश्य शीर्ष (दो या तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के क्रिया-कलाप प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्यशीर्ष उप क्रिया कलाप प्रदर्शित करते हैं, लघुशीर्ष कार्यक्रम/गतिविधियां दर्शाते हैं, उपशीर्ष योजना, विस्तृत शीर्ष उप-योजना दर्शाते हैं तथा उद्देश्य शीर्ष व्यय का प्रयोजन/उद्देश्य दर्शाते हैं।

4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष होता है, जो निम्नानुसार संकेत प्रतिमान (कोडिंग पैटर्न) में हैं (31 मार्च 2023 तक संशोधित मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुसार)।

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय ("लोक ऋण, ऋण और अग्रिम" सहित)
7999	आकस्मिकता निधि में विनियोग
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

सरकारी लेखे की संरचना



ख. वित्त लेखे में क्या निहित है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरण पत्रक जो राज्य सरकार की चालू वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति एवं लेन-देनों की संक्षिप्त जानकारी दर्शाते हैं, वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ सम्मिलित है। खण्ड-I में 13 विवरण पत्रकों एवं वित्त लेखे पर टिप्पणियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की परिसंपत्तियों और दायित्वों के संचयी आंकड़े जो वर्षान्त में तथा पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति की तुलना में है, दर्शाता है।
2. **प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की वर्ष के दौरान तीन भागों जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं यथा – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत समस्त प्राप्तियाँ और संवितरण दर्शाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) का वैकल्पिक चित्रण दर्शाने वाला एक अनुलग्नक है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय की विस्तृत स्थिति भी दर्शाता है।
3. **प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)** : इस विवरण पत्रक में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ और उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान शामिल होता है। यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 17 एवं 18 के समरूप होता है।
4. **व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)** : वित्त लेखे के लघु शीर्ष स्तर तक के सामान्य प्रदर्शन से पृथक यह विवरण पत्रक व्यय का, गतिविधियों की प्रकृति (व्यय का उद्देश्य) अनुसार विस्तृत विवरण भी दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 15, 16, 17 एवं 18 के समरूप है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 16 के समरूप है।
6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक** : राज्य द्वारा उधार लेने में, उसके द्वारा उगाहे गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य दायित्वों में “अल्प बचतें”, “भविष्य निधियाँ आदि”, “आरक्षित निधियाँ” तथा “जमा” शामिल हैं। विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टिप्पणी भी होती है तथा यह खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 17 के समरूप होता है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा ऋणियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा वैयक्तिक प्राप्तिकर्ता (शासकीय सेवकों सहित) को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 18 के समरूप होता है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक सांविधिक निकायों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साधारण पूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 19 के समरूप होता है।
9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के मूल के पुनर्भुगतान एवं ऋणों पर ब्याज पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सारांशीकरण है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 20 के समरूप होता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका – जारी

10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा अनुदान ग्रहीता की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा व्यक्ति को दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट-III प्राप्तिकर्ता संस्थाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक वित्त लेखे में दर्शित हो रहे निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्शित हो रहे सकल आंकड़ों के मध्य मिलान में सहायता प्रदान करता है।
12. **राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय को अदा करने के सिद्धान्त पर आधारित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य से, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष तथा उधार से पूरा किया जाता है।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों के सारांश** : यह विवरण पत्रक लेखे की शुद्धता को सिद्ध करने में सहायक होता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 के समरूप होता है।

वित्त लेखे पर टिप्पणियां एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्त लेखे पर टिप्पणियां प्रकटीकरण एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेन-देनों, लेन-देनों की श्रेणी, शेषों आदि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त लेखे के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिये सहायक होगा।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, बजट एवं वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार, भारत सरकार लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) की आवश्यकताओं, खातों के प्रपत्र, पूंजी एवं राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि, वित्त लेखे के खण्ड-I में वित्त लेखे पर टिप्पणियों का भाग के रूप में शामिल है।

वित्त लेखे के खण्ड-II के दो भाग हैं – भाग-I में नौ विस्तृत विवरण तथा भाग-II में तेरह परिशिष्ट हैं।

खण्ड-II का भाग-I

14. **राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण पत्रक-3 के समरूप होता है। राजस्व प्राप्तियों का लघुशीर्ष स्तर पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के संबंध में उपशीर्ष स्तर पर विस्तृत विवरण भी दर्शाता है।
15. **राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक-4 के समरूप है, राज्य सरकार का राजस्व व्यय दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक-पृथक दर्शाया जाता है।
16. **पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक 5 के समरूप है, राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय, (वर्ष के दौरान एवं संचयी) दर्शाता है। प्रभारित तथा दत्तमत व्यय पृथक-पृथक दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण दर्शाने के लिए, यह विवरण पत्रक उप शीर्ष स्तर पर भी विस्तृत विवरण दर्शाता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका – जारी

17. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक-6 के अनुरूप है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये सभी ऋणों के ब्यौरे (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम शामिल है। यह विवरण पत्रक ऋण पर तीन श्रेणियों के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करता है – (क) व्यक्तिगत ऋण के ब्यौरे (ख) परिपक्वता स्थिति जैसे विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित भुगतान योग्य राशि, (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर स्थिति तथा बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।
18. **राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक-7 के समरूप है।
19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक, विवरण पत्रक 16 एवं 19 के मध्य इकाईवार निवेश और मुख्य एवं लघु शीर्षवार विस्तृत विसंगतियों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-I में विवरण पत्रक-8 के समरूप होता है।
20. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक शासकीय प्रतिभूतियों का इकाईवार विवरण दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-I में विवरण पत्रक 9 के समरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अनापूरित राशि के ब्यौरे, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों की स्थिति दर्शाता है।
22. **उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक** : यह विवरण पत्रक आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड-II का भाग-II

भाग-II में वेतन, राज सहायता, सहायक अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, आदि से संबंधित मदों के सहित तेरह परिशिष्ट शामिल हैं। यह लेखाओं में उपशीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघुशीर्ष स्तर से नीचे) के ब्यौरे जिन्हें सामान्यतया वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, को प्रस्तुत करते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I और II की विषय सूची में दर्शित है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण पत्रक एवं वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के साथ ही, वर्ष के लिये सरकार के प्राप्तियों और संवितरणों के लेखों को प्रस्तुत करते हैं।

ग. त्वरित गणना पत्रक

नीचे दी गई सारणी खण्ड-I के अंतर्गत वर्णित संक्षिप्त विवरणों का संबंध खण्ड-II के विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से दर्शाती है (ऐसे परिशिष्ट जिनका संक्षिप्त विवरणों से सीधा संबंध नहीं है, को यहां नहीं दिखाया गया है)।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका – समाप्त

मापदण्ड	खण्ड-I	खण्ड-II	
	संक्षिप्त विवरण	विस्तृत विवरण	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्ति (प्राप्त अनुदानों सहित), पूंजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	—
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (राज सहायता)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2, 10	—	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गये ऋण और अग्रिम	1, 2, 7	18	—
ऋण स्थिति/उधार	1, 2, 6	17	—
निगमों, कम्पनियों आदि में सरकारी निवेश आदि	8	19	—
रोकड़	1, 2, 12, 13	—	—
लोक लेखे में शेष तथा उनके निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	—
प्रत्याभूति	9	20	—
योजनाएं	—	—	IV (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं)

1: वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियाँ ^(क)	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
रोकड़			19,151.56	17,296.25
(i) खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	निरंक	विवरण सं. 2 का अनुलग्नक	निरंक	निरंक
(ii) विभागीय शेष	निरंक	21	(-) 2.88	(-) 2.53
(iii) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	निरंक	21	0.85	0.85
(iv) नकद शेष निवेश लेखा	निरंक	21	23,149.64	17,441.88
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (यदि शेष जमा हो तो ऋणात्मक चिह्न के साथ यहाँ शामिल हो)	निरंक	विवरण सं. 2 का अनुलग्नक	(-) 4,969.81 ^{(ख)(ग)}	(-) 1,117.71
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश	निरंक	22	973.76 ^(घ)	973.76
पूँजीगत व्यय			3,57,926.28	3,13,487.91
(i) कंपनियों तथा निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	निरंक	विवरण सं. 8, 19	43,384.04	41,058.88
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय	निरंक	विवरण सं. 5, 16	3,14,542.24 ^(ङ)	2,72,429.03
आकस्मिकता निधि (अनापूरित)	4	निरंक	19.40	निरंक
ऋण तथा अग्रिम	निरंक	विवरण सं. 7, 18	47,825.72	46,923.67
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	निरंक	21	3.49	3.48
उचंचत तथा विविध शेष^(च)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
प्रेषण शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य^(छ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग			4,24,926.45	3,77,711.31

(क) परिसंपत्तियों तथा दायित्वों की राशियाँ संचयी राशियाँ हैं। कृपया 'वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ' अनुभाग के अंतर्गत टिप्पणी 1(v) भी देखें।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर मध्यप्रदेश (₹ 0.05 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) को अनंतिम रूप से आवंटित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।

(ग) मार्च 2023 की समाप्ति की स्थिति में "भारतीय रिजर्व बैंक जमा" में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 119.04 करोड़ (नामे) तथा महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹ 4,969.81 (जमा) करोड़ के मध्य निवल अंतर ₹ 4,850.77 करोड़ (नामे) है। रिजर्व बैंक जमा में यह अंतर एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेनदेनों को गलत प्रतिवेदित करने के कारण है।

(घ) कंपनियों इत्यादि के शेयरों में 'उद्दिष्ट निधियों' में से किए गए निवेश पूँजीगत व्यय में से हटाए गए हैं तथा 'उद्दिष्ट निधियों' से निवेश ₹ 973.76 करोड़ (राजस्व आरक्षित निधियां ₹ 7.61 करोड़, राज्य कृषि साख सहायता, और प्रत्याभूति निधि ₹ 0.02 करोड़, प्रत्याभूति मोचन निधि ₹ 966.12 तथा मध्यप्रदेश सरकार की अन्य निधियां ₹ 0.01 करोड़) में शामिल किए गए हैं।

(ङ) पूँजीगत व्यय (विवरण संख्या 5 एवं 16) में अन्य पूँजीगत व्यय एवं निवेश पर व्यय शामिल है।

(च) इस विवरण में पंक्ति मद 'उचंचत एवं विविध शेषों' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थाई रोकड़ अग्रदाय' शामिल नहीं हैं, जिन्हें पृथक से ऊपर सम्मिलित किया गया है, यद्यपि इन्हें लेखों में अन्यत्र इसी क्षेत्र में शामिल किया गया है।

(छ) 'प्राप्तियों पर व्यय' का संचयी आधिक्य अथवा 'व्यय पर प्राप्तियों' का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

विवरण पत्रक संख्या 1 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/परिशिष्ट		
उधार (लोक ऋण)			3,01,225.53	2,64,364.45
(i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	6, 17	2,51,427.60	2,23,013.14
बाजार ऋण	निरंक	6, 17	1,95,625.66	1,68,040.71
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	निरंक	6, 17	निरंक	निरंक
प्रतिकर तथा अन्य बंधपत्र	निरंक	6, 17	6,624.44	7,360.44
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	निरंक	6, 17	13,255.77	13,050.09
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	निरंक	6, 17	35,921.73	34,561.90
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	निरंक	6, 17	49,797.93	41,351.31
योजनेत्तर ऋण	निरंक	6, 17	14.36	17.75
राज्य योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	निरंक	6, 17	10,705.20	12,920.39
राज्य/विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण	निरंक	6, 17	39,076.49	28,411.29
अन्य ऋण	निरंक	6, 17	1.88	1.88
आकस्मिकता निधि (कोष)	4	21	1,000.00	1,000.00
लोक लेखा पर दायित्व			71,708.95	65,490.13
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	निरंक	12, 17, 21	18,019.74	19,310.64
(ii) जमा	निरंक	12, 17, 21	21,711.25	19,182.08
(iii) आरक्षित निधियाँ	निरंक	12, 21, 22	23,969.39	21,334.71
(iv) प्रेषण शेष	निरंक	12, 21	5,677.34	4,782.10
(v) उचंत तथा विविध शेष	निरंक	21	2,330.93 ^(क)	880.60
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	निरंक	निरंक	50,991.97^{(ख)(ग)}	46,856.73
योग			4,24,926.45	3,77,711.31

(क) उचंत तथा विविध शेषों की राशि में मुख्यशीर्ष 8658—उचंत लेखे की राशि ₹ 573.27 करोड़ (जमा), मुख्यशीर्ष 8679—अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे ₹ 0.15 करोड़ (नामे) तथा मुख्यशीर्ष 8670—चैक तथा बिल की राशि ₹ 1,757.81 करोड़ (जमा) के शेष सम्मिलित हैं।

(ख) सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित वर्ष 2006-07 के पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के ₹ 9.19 करोड़ सम्मिलित हैं।

(ग) मुख्यशीर्ष 4000—विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, लघुशीर्ष 800—अन्य प्राप्तियाँ के ₹ 3,29.66 करोड़ शामिल हैं, जो विवरण संख्या 12 में पूंजीगत एवं अन्य व्यय से घटाये गये हैं।

2 : प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	संवितरण				
	2022-23	2021-22			
भाग - I समेकित निधि					
अनुभाग - अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	2,03,986.19	1,85,875.85	राजस्व व्यय (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख एवं 15)	1,99,895.26	1,81,061.30
कर राजस्व (राज्य द्वारा एकत्रित किया गया) (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	72,610.55	66,237.34	वेतन ^(क) (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-ख एवं परिशिष्ट-I)	44,323.82	38,947.87
करेतर राजस्व (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	19,878.34	15,304.88	राजसहायता ^(क) (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-ख परिशिष्ट-II)	19,284.67	19,196.48
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	4,569.45	1,643.72	सहायता अनुदान ^{(क)(ख)} (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट-III)	63,413.00	58,965.10
अन्य (संदर्भ : विवरण पत्रक 3)	15,308.09	13,661.16	सामान्य सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4 एवं 15)	44,294.59	40,340.73
			ब्याज भुगतान तथा ऋण शोधन (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख एवं 15)	19,453.27	18,445.91
संघ करों / शुल्कों का भाग (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	74,542.85	69,541.50	पेंशन (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख एवं 15)	19,690.61	17,042.13
			अन्य (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-ख)	5,150.71	4,852.69
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 15)	15,737.11	13,276.15
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 15)	4,964.57	3,209.51
केन्द्र सरकार से अनुदान (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	36,954.45	34,792.13	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क एवं 15)	7,877.50	7,125.46
राजस्व घाटा	निरंक	निरंक	राजस्व आधिक्य	4,090.93	4,814.55

(क) वेतन राजसहायता तथा सहायता अनुदान की राशियाँ, समेकित राशि दर्शाने हेतु, क्षेत्र क (सामान्य), ख (सामाजिक) एवं ग (आर्थिक) से एकत्रित की गई हैं। वेतन की राशि क्रमशः ₹ 10,132.30 करोड़, ₹ 30,233.22 करोड़ एवं ₹ 3,958.30 करोड़ क्षेत्र क, ख एवं ग से सम्बन्धित है। राजसहायता की राशि ₹ 240.26 करोड़, ₹ 2,353.17 करोड़ एवं ₹ 16,691.24 करोड़ क्षेत्र क, ख एवं ग से सम्बन्धित है। सहायता अनुदान की राशि ₹ 139.49 करोड़, ₹ 33,761.05 करोड़ एवं ₹ 29,512.46 करोड़ क्षेत्र क, ख एवं ग से सम्बन्धित है।

(ख) विवरण पत्रक संख्या 2 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र-घ से संबंधित व्यय एवं पूंजीगत अनुभाग के तहत वर्गीकृत सहायता अनुदान के व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 4, 10 एवं परिशिष्ट-III के आंकड़ों से ₹ 9,093.79 करोड़ से भिन्न है। हालांकि, यह विवरण पत्रक संख्या 15 से ₹ 8,422.61 करोड़ से भिन्न है, जो कि क्षेत्र-घ से संबंधित है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
भाग – I समेकित निधि – जारी					
अनुभाग- ब : पूंजीगत					
पूँजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	46.77	1,597.70	पूँजीगत परिव्यय ^{(क)(ख)} (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख, 5 एवं 16)	44,438.37	40,733.11
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख, 5 एवं 16)	1,165.29	988.69
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख, 5 एवं 16)	14,631.95	14,351.92
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 4-ख, 5 एवं 16)	28,641.13	25,392.50
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 7 एवं 18)	1,458.12	62.17	ऋण तथा अग्रिम संवितरित (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 7 एवं 18)	2,360.17	3,228.69
सामान्य सेवाएं	0.79	0.40	सामान्य सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 7 एवं 18)	48.86	158.96
सामाजिक सेवाएं	52.24	51.72	सामाजिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 7 एवं 18)	1,251.53	1,671.67
आर्थिक सेवाएं	1,405.09	10.05	आर्थिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 7 एवं 18)	1,059.77	1,398.06
शासकीय कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	निरंक	निरंक	अन्य (संदर्भ : विवरण पत्रक 7)	0.01	निरंक
लोक ऋण प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)	58,867.32	46,284.98	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 6 एवं 17)	22,006.24	15,162.44
आंतरिक ऋण ^(ग) (बाजार ऋण, एन.एस. एस.एफ. इत्यादि) (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)	48,202.12	33,670.65	आंतरिक ऋण, (बाजार ऋण, एन.एस.एस.एफ. इत्यादि) (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 6 एवं 17)	19,787.66	13,376.71

(क) वर्ष 2021-22 में ₹ 209.99 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 में ₹ 205.41 करोड़ वेतन राशि के रूप में सम्मिलित है।

(ख) वर्ष 2021-22 में ₹ 596.42 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 में ₹ 671.18 करोड़ सहायता अनुदान की राशि के रूप में सम्मिलित है। पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत सहायता अनुदान का प्रावधान करने विषयक राज्य शासन को लिखा गया है।

(ग) आंतरिक ऋण में मुख्यशीर्ष 6003-111-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियों से संबंधित प्राप्तियाँ (क) ₹ 5,845.57 करोड़ और (ख) ₹ 4,485.74 करोड़ संवितरण सम्मिलित है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
भाग – I समेकित निधि – समाप्त					
अनुभाग- ब : पूंजीगत					
भारत सरकार से ऋण (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)	10,665.20	12,614.33	भारत सरकार से ऋण (संदर्भ : विवरण पत्रक 4-क, 6 एवं 17)	2,218.58	1,785.73
अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा	(-) 0.78	1.14	अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा	(-) 0.95	1.20
			आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	500.00
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (संदर्भ:विवरण पत्रक 3)	2,64,357.62	2,33,821.84	कुल व्यय समेकित निधि (संदर्भ:विवरण पत्रक 4)	2,68,699.09	2,40,686.74
समेकित निधि में घाटा	4,341.47	6,864.90	समेकित निधि में आधिक्य	निरंक	निरंक
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	निरंक	500.00	आकस्मिकता निधि (संदर्भ: विवरण पत्रक 21)	19.40 ^(क)	निरंक
भाग-III लोक लेखा^(ख)					
लघु बचतें (संदर्भ:विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)	4,057.27	4,457.66	लघु बचतें (संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)	5,348.17	5,041.11
आरक्षित एवं निक्षेप निधि (संदर्भ:विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)	5,030.36	7,232.00	आरक्षित एवं निक्षेप निधि (संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)	2,395.37	2,699.95
जमा (संदर्भ:विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)	51,597.17	30,561.25	जमा (संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)	49,068.00	31,712.59
अग्रिम (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	निरंक	निरंक	अग्रिम (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	0.01	निरंक
उचंचत एवं विविध (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	5,44,210.43	5,70,698.08	उचंचत एवं विविध ^(ग) (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	5,48,470.15	5,66,223.41
प्रेषण (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	20,288.18	18,125.58	प्रेषण (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	19,392.94	16,508.11
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	6,25,183.41	6,31,074.57	कुल संवितरण लोक लेखा (संदर्भ:विवरण पत्रक 21)	6,24,674.64	6,22,185.17
लोक लेखा में घाटा	निरंक	निरंक	लोक लेखा में आधिक्य	508.77	8,889.40
प्रारंभिक रोकड़ शेष	(-) 1,117.71	(-) 3,642.21	अंतिम रोकड़ शेष	(-) 4,969.81	(-) 1,117.71
रोकड़ शेष में वृद्धि	निरंक	2,524.50	रोकड़ शेष में कमी	3,852.10	निरंक

(क) राशि ₹ 10.00 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध आकस्मिकता निधि से ₹ 29.40 करोड़ का व्यय (मुख्य शीर्ष 2013-मंत्री परिषद्) किया गया।

(ख) विवरण हेतु कृपया खंड-II का विवरण संख्या-21 देखें।

(ग) 'उचंचत तथा विविध' में 'अन्य लेखे' जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं में आंकड़े वृहद रूप में परिलक्षित होते हैं। कृपया विस्तृत विवरण, विवरण संख्या 21 में देखें।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी
विवरण पत्रक संख्या 2 का अनुलग्नक

रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकार की सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क- सामान्य रोकड़ शेष –		
(i) खजानों में रोकड़	निरंक	निरंक
(ii) रिजर्व बैंक में जमा ^(क)	मुख्य शीर्ष 8999	(-) 4,969.81 ^{(ख)(ग)}
(iii) अन्य बैंकों में जमा	निरंक	निरंक
(iv) स्थानीय प्रेषण	निरंक	निरंक
योग	(-) 4,969.81	(-) 1,117.71
(v) रोकड़ शेष में किया गया निवेश	मुख्य शीर्ष 8673	23,194.64
योग – क – सामान्य रोकड़ शेष	18,179.83	16,324.17
ख- अन्य रोकड़ शेष और निवेश –		
(vi) विभागीय रोकड़ शेष	(-) 2.88	(-) 2.53
(vii) स्थाई अग्रिम	0.85	0.85
(viii) उद्दिष्ट निधियों से निवेश	973.76	973.76
योग – ख – अन्य रोकड़ शेष और निवेश	971.73	972.08
योग – क + ख	19,151.56	17,296.25

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- (क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** : रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत खजानों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, सम्मिलित है। रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाते हैं। रोकड़ की समग्र स्थिति पर पहुंचने के लिये खजानों, विभागों में रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष/ आरक्षित निधियों इत्यादि से निवेश को भारतीय 'रिजर्व बैंक में जमा' के शेषों में जोड़ा जाता है।

(क) "रिजर्व बैंक में जमा" शीर्ष के अंतर्गत शेष, 15 अप्रैल, 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेन-देन से संबंधित अंतर-सरकार मौद्रिक व्यवस्थापन को लेखे में शामिल करने के उपरांत है।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर को मध्यप्रदेश (₹ 0.05 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) अंतिम रूप से आवंटित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।

(ग) मार्च 2023 की समाप्ति की स्थिति में "भारतीय रिजर्व बैंक जमा" में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 119.04 करोड़ (नामे) तथा महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹ 4,969.81 (जमा) करोड़ के मध्य निवल अंतर ₹ 4,850.77 करोड़ (जमा) है। रिजर्व बैंक जमा में यह अंतर एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेनदेनों को गलत प्रतिवेदित करने के कारण है। माह जून 2023 तक नामे मदों की राशि ₹ (-) 80.05 करोड़ एवं जमा मदों की राशि ₹ 3,144.43 करोड़ का पुनर्मिलान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 30 जून 2023 की स्थिति में निवल अंतर में ₹ 1,626.30 करोड़ (जमा) की कमी हुई है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

अनुलग्नक – जारी

- (ख) **दैनिक रोकड़ शेष** : रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में ₹ 1.96 करोड़ न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि अनुबंध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की जाती है।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को मंजूर करने के प्रयोजन से दैनिक रोकड़ शेष^(क) प्राप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन-देन तथा खजाना लेन-देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उससे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण के लिये आवेदन करती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षण पर ब्याज की प्रभावी दरें निम्नानुसार थीं :-

स.क्र.	नामकरण	दर
1.	अर्थोपाय अग्रिम (साधारण)	
	(क) 90 दिन तक	रेपो दर
	(ख) 90 दिन से अधिक	रेपो दर + 1
2.	अर्थोपाय अग्रिम (विशेष)	रेपो दर - 1
3.	कमी	रेपो दर
4.	अधिविकर्षण	
	(क) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत तक	रेपो दर + 2
	(ख) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत से अधिक	रेपो दर + 5

वर्ष 2022-23 के दौरान रेपो दर 4.00 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत रही।

राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 2022-23 के दौरान न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहां तक समर्थ थी, यह नीचे दर्शाया गया है :-

(i)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष बिना किसी अग्रिम लिए बनाये रखा गया	365
(ii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iv)	दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिमों का उपयोग करने पर न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नहीं लिया गया	निरंक
(v)	दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिया गया	निरंक

^(क) उपरोक्त नकदी शेष ('भारतीय रिजर्व बैंक में जमा') वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में संवरित नकदी शेष है परन्तु 15 अप्रैल को निकाला गया है तथा 31 मार्च का साधारण दैनिक शेष नहीं है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – समाप्त
अनुलग्नक – समाप्त

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों तथा उन पर भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में लेन-देनों का विस्तृत लेखा नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 को शेष	2022-23 के दौरान प्राप्त की गई राशि	2022-23 के दौरान चुकाई गई राशि	31 मार्च 2023 को शेष	2022-23 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज
साधारण अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
विशेष अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अधिविकर्षण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

31 मार्च 2023 को सामान्य रोकड़ शेष से किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्न है :-

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूति का प्रकार		राशि
(1)	भारत सरकार के कोषालय देयकों	23,149.64
(2)	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	निरंक
	योग	23,149.64

वर्ष के दौरान उपरोक्त निवेशों पर ₹ 166.17 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ, जबकि 2021-22 के दौरान ₹ 196.99 करोड़ था।

टीप :- सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशों में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण संख्या-8 एवं 19 में दिए गए हैं। उद्दिष्ट रक्षित निधियों से निवेशित राशियाँ विवरण संख्या-22 में दर्शाई गई हैं।

3 : प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)

		(₹ करोड़ में)	
	विवरण	वास्तविक	
		2022-23	2021-22
I-	कर एवं करेतर राजस्व		
क	कर राजस्व		
क.1	स्वयं का कर राजस्व	72,610.55	66,237.34
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	23,396.79	22,028.52
	भू-राजस्व	956.39	732.72
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	8,811.91	8,098.42
	राज्य उत्पाद शुल्क	12,954.56	10,334.48
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	17,718.99	16,184.77
	माल तथा यात्री कर	58.92	63.94
	वाहन कर	4,027.57	3,028.68
	अन्य	4,685.42	5,765.81
क.2	संघ करों एवं शुल्क के शुद्ध आगम का भाग	74,542.85	69,541.50
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	21,064.17	19,855.36
	निगम कर	24,990.36	20,562.80
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	24,399.34	20,588.68
	आय एवं व्यय पर अन्य कर	निरंक	0.15
	धन कर	निरंक	4.15
	सीमा शुल्क	2,930.37	4,949.53
	संघ उत्पाद शुल्क	919.38	2,647.08
	सेवा कर	116.54	862.82
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	122.69	70.93
	योग - क	1,47,153.40	1,35,778.84
ख	करेतर राजस्व		
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	7,360.07	6,180.67
	ब्याज प्राप्तियाँ	4,569.45	1,643.72
	फसल कृषि-कर्म	2,221.62	24.97
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,840.31	3,018.73
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1,395.01	1,406.03
	लघु सिंचाई	331.97	238.87
	बिजली	329.07	996.95
	पुलिस	263.05	221.44
	मध्यम सिंचाई	195.06	243.10
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	179.78	192.91
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	179.31	194.43
	लाभांश तथा लाभ	159.58	138.73
	विविध सामान्य सेवाएं	158.75	87.54
	मुख्य सिंचाई	136.06	85.74
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	90.60	124.27

विवरण पत्रक संख्या 3 – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2022-23	2021-22
I-	कर एवं करेतर राजस्व – समाप्त		
ख	करेतर राजस्व – समाप्त		
	अन्य सामाजिक सेवाएं	89.39	194.47
	ग्राम तथा लघु उद्योग	56.60	37.71
	लोक निर्माण कार्य	53.54	62.38
	श्रम तथा रोजगार	45.67	29.54
	शहरी विकास	36.91	15.32
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	33.35	34.76
	आवास	27.33	31.88
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.37	13.37
	लोक सेवा आयोग	17.14	15.05
	जलपूर्ति तथा सफाई	17.01	19.78
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	15.25	12.64
	सहकारिता	12.98	6.98
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	12.58	10.01
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	10.84	2.55
	मछली पालन	10.13	6.55
	जेल	3.31	3.49
	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.51	6.97
	पशुपालन	2.21	2.37
	खाद्य भंडारण तथा भण्डागार	0.44	0.12
	सूचना तथा प्रचार	0.42	0.09
	सड़क तथा सेतु	0.28	0.23
	परिवार कल्याण	0.22	0.30
	अन्य उद्योग	0.07	0.07
	उद्योग	0.06	0.12
	डेयरी विकास	0.04	0.03
	योग – ख	19,878.34	15,304.88
II-	भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं अंशदान		
ग	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	26,290.90	25,487.96
	केन्द्रीय सहायता/अंश	26,113.87	24,304.32
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	115.66	560.71
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	61.37	निरंक
	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से अनुदान	निरंक	622.93

विवरण पत्रक संख्या 3 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2022-23	2021-22
II-	भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं अंशदान – समाप्त		
ग	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – समाप्त		
	वित्त आयोग अनुदान	5,494.77	5,608.77
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,327.22	1,975.22
	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,447.65	1,813.55
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	1,528.80	1,456.00
	राज्य आपदा शमन निधि के लिये सहायता अनुदान	191.10	364.00
	राज्य/विधायिका सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य स्थानान्तरण/अनुदान	5,168.78	3,695.40
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	23.02	निरंक
	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में योगदान हेतु अनुदान	निरंक	600.50
	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से अनुदान	573.96	निरंक
	जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति	4,571.80	3094.90
	योग – ग	36,954.45	34,792.13
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क + ख + ग)	2,03,986.19	1,85,875.85
III-	पूँजीगत, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ		
घ	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		
	सिविल		
	अन्य प्राप्तियाँ	8.34	27.43
	सरकार के अंश का विनिवेश		
	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रम का विनिवेश	38.43	1,570.27
	योग – घ	46.77	1,597.70
ङ	लोक ऋण प्राप्तियाँ		
	आंतरिक ऋण	48,202.12	33,670.65
	बाजार ऋण	40,158.00	22,000.00
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,198.55	4,222.56
	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	5,845.57	7,448.09
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	निरंक	निरंक
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	10,665.20	12,614.33
	योजनेतर ऋण	निरंक	निरंक
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिये ऋण ^(क)	निरंक	निरंक
	राज्य/विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण	10,665.20	12,614.33
	योग – ङ	58,867.32	46,284.98
च	राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम (वसूलियाँ) ^(ख)	1,458.12	62.17
छ	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-) 0.78	1.14
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	2,64,357.62	2,33,821.84

(क) मुख्य तथा लघु लेखाशीर्षों की सूची के अनुसार उप मुख्य शीर्ष 02-राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण, दि.01.04.17 से नये लेन-देन हेतु परिचालन में नहीं है।

(ख) विस्तृत विवरण, खण्ड-I में विवरण संख्या-7 एवं खण्ड-II में विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं।

4 : व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)

क. कार्य आधारित व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
क	सामान्य सेवाएं				
क.1	राज्य के अंग	2,000.99	निरंक	निरंक	2,000.99
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	92.68	निरंक	निरंक	92.68
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	15.26	निरंक	निरंक	15.26
	मंत्रिपरिषद	251.18	निरंक	निरंक	251.18
	न्याय प्रशासन	1,367.90	निरंक	निरंक	1,367.90
	निर्वाचन	273.97	निरंक	निरंक	273.97
क.2	राजकोषीय सेवाएं	23,147.08	निरंक	निरंक	23,147.08
	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	भू-राजस्व	1,195.36	निरंक	निरंक	1,195.36
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	907.84	निरंक	निरंक	907.84
	राज्य उत्पाद शुल्क	157.05	निरंक	निरंक	157.05
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6.02	निरंक	निरंक	6.02
	वाहन कर	92.73	निरंक	निरंक	92.73
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रभारों का संग्रहण	223.14	निरंक	निरंक	223.14
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1,109.38	निरंक	निरंक	1,109.38
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.29	निरंक	निरंक	2.29
	ब्याज अदायगियाँ	19,453.27	निरंक	निरंक	19,453.27
क.3	प्रशासनिक सेवाएं	9,914.63	1,165.29	निरंक	11,079.92
	लोक सेवा आयोग	38.60	निरंक	निरंक	38.60
	सचिवालय – सामान्य सेवाएं	260.98	निरंक	निरंक	260.98
	जिला प्रशासन	945.98	निरंक	निरंक	945.98
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	174.26	निरंक	निरंक	174.26
	पुलिस	7,196.74	616.77	निरंक	7,813.51
	जेल	465.52	निरंक	निरंक	465.52
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	47.87	0.33	निरंक	48.20
	लोक निर्माण कार्य	241.85	527.07	निरंक	768.92
	जागरुकता	41.14	निरंक	निरंक	41.14
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	501.69	21.12	निरंक	522.81
क.4	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	19,743.94	निरंक	48.86	19,792.80
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	19,690.61	निरंक	निरंक	19,690.61
	विविध सामान्य सेवाएं	53.33	निरंक	48.86	102.19
	योग-क-सामान्य सेवाएं	54,806.64	1,165.29	48.86	56,020.79

विवरण पत्रक संख्या 4 – जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ख	सामाजिक सेवाएं				
ख.1	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति ^(क)	32,668.72	2,145.07	25.00	34,838.79
	सामान्य शिक्षा	31,256.22	2,145.07	25.00	33,426.29
	तकनीकी शिक्षा	864.52	निरंक	निरंक	864.52
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	287.22	निरंक	निरंक	287.22
	कला एवं संस्कृति	260.76	निरंक	निरंक	260.76
ख.2	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	12,412.23	1,609.82	निरंक	14,022.05
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	11,810.01	1,609.82	निरंक	13,419.83
	परिवार कल्याण	602.22	निरंक	निरंक	602.22
ख.3	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	17,538.50	9,106.65	1226.53	27,871.68
	जलपूर्ति तथा सफाई	1,202.24	6,739.49	निरंक	7,941.73
	आवास	10,817.73	28.03	371.51	11,217.27
	शहरी विकास	5,518.53	2,339.13	855.02	8,712.68
ख.4	सूचना तथा प्रसारण	615.73	0.89	निरंक	616.62
	सूचना तथा प्रचार	615.73	0.89	निरंक	616.62
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,143.87	1,114.13	निरंक	6,258.00
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,143.87	1,114.13	निरंक	6,258.00
ख.6	श्रमिक तथा श्रम कल्याण	1,953.04	निरंक	निरंक	1,953.04
	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	1,953.04	निरंक	निरंक	1,953.04
ख.7	समाज कल्याण तथा पोषण	11,623.78	177.96	निरंक	11,801.74
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	8,520.75	177.96	निरंक	8,698.71
	पोषण	1,229.21	निरंक	निरंक	1,229.21
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,873.82	निरंक	निरंक	1,873.82
ख.8	अन्य	128.68	477.43	निरंक	606.11
	अन्य सामाजिक सेवाएं	88.88	477.43	निरंक	566.31
	सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	39.80	निरंक	निरंक	39.80
	योग-ख-सामाजिक सेवाएं	82,084.55	14,631.95	1,251.53	97,968.03

(क) पूँजीगत परियोजना तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए एकल मुख्य शीर्ष है, जो उप मुख्यशीर्ष के द्वारा पृथक किये जाते हैं।

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	13,203.59	1,320.74	69.19	14,593.52
	फसल कृषि-कर्म	7,967.48	25.00	निरंक	7,992.48
	मृदा तथा जल संरक्षण	58.84	निरंक	निरंक	58.84
	पशुपालन	1,098.41	8.18	निरंक	1,106.59
	मछली पालन	121.05	निरंक	निरंक	121.05
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1,666.22	1,286.69	निरंक	2,952.91
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	1,225.96	0.79	69.19	1,295.95
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	224.38	निरंक	निरंक	224.38
	सहकारिता	841.25	0.08	निरंक	841.33
ग.2	ग्रामीण विकास	6,602.53	4,203.77	निरंक	10,806.30
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	1,038.31	निरंक	निरंक	1,038.31
	ग्रामीण रोजगार	1,558.79	निरंक	निरंक	1,558.79
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,005.43	4,203.77	निरंक	8,209.20
ग.4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,595.07	12,395.51	निरंक	13,990.58
	मुख्य सिंचाई	697.51	10,562.18	निरंक	11,259.69
	मध्यम सिंचाई	677.92	1,279.12	निरंक	1,957.04
	लघु सिंचाई	212.47	542.10	निरंक	754.57
	कमान क्षेत्र विकास	7.17	3.89	निरंक	11.06
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	निरंक	8.22	निरंक	8.22
ग.5	ऊर्जा	27,152.52	1,202.37	740.58	29,095.47
	बिजली	27,135.71	1,202.37	740.58	29,078.66
	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	16.81	निरंक	निरंक	16.81
ग.6	उद्योग तथा खनिज	4,240.57	1,506.02	250.00	5,996.59
	ग्राम तथा लघु उद्योग	1,002.26	136.09	निरंक	1,138.35
	उद्योग	1,491.57	निरंक	निरंक	1,491.57
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,746.74	674.93	निरंक	2,421.67
	अन्य उद्योग	निरंक	695.00	निरंक	695.00
	उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	पेट्रो केमिकल उद्योग	निरंक	निरंक	250.00	250.00
ग.7	परिवहन	1,802.55	7,549.23	निरंक	9,351.78
	नागर विमानन	6.38	225.46	निरंक	231.84
	सड़क तथा सेतु	1,796.17	7,323.77	निरंक	9,119.94
	सड़क परिवहन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	अन्य परिवहन सेवाएं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	आर्थिक सेवाएं—समाप्त				
ग.8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	176.85	334.27	निरंक	511.12
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	176.85	334.27	निरंक	511.12
ग.9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	352.89	129.22	निरंक	482.11
	सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	35.19	निरंक	निरंक	35.19
	पर्यटन	143.48	128.00	निरंक	271.48
	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	150.48	निरंक	निरंक	150.48
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	23.74	1.22	निरंक	24.96
	योग – ग – आर्थिक सेवाएं	55,126.57	28,641.13	1,059.77	84,827.47
घ	सहायता अनुदान तथा अंशदान				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	7,877.50	निरंक	निरंक	7,877.50
	योग—घ—सहायता अनुदान तथा अंशदान	7,877.50	निरंक	निरंक	7,877.50
ङ	लोक ऋण				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	निरंक	19,787.66	19,787.66
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	निरंक	निरंक	2,218.58	2,218.58
	योग—ङ— लोक ऋण	निरंक	निरंक	22,006.24	22,006.24
च	ऋण तथा अग्रिम				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	निरंक	निरंक	0.01	0.01
	योग—च—ऋण तथा अग्रिम	निरंक	निरंक	0.01	0.01
छ	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	निरंक	(-) 0.95	(-) 0.95
ज	आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग—समेकित निधि के अंतर्गत व्यय	1,99,895.26	44,438.37	24,365.46	2,68,699.09

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

ख : प्रकृति अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2022-23			2021-22		
		राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
11	वेतन	44,323.82	205.41	44,529.23	38,947.87	209.99	39,157.86
12	मजदूरी	1,447.73	822.15	2,269.88	1,236.12	702.40	1,938.52
13	पेशन तथा पेंशन हितलाभ	16,320.70	0.06	16,320.76	14,593.12	0.06	14,593.18
14	पुरस्कार, पारितोषिक, सम्मान	69.35	निरंक	69.35	74.92	निरंक	74.92
15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	2,634.23	निरंक	2,634.23	2,324.72	निरंक	2,324.72
16	वेतन भत्ते – अखिल भारतीय सेवाएं	161.89	1.47	163.36	138.54	1.32	139.86
17	मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते	27.30	निरंक	27.30	27.25	निरंक	27.25
18	राज्यपाल, उच्च न्यायालय, न्यायालय, लोकायुक्त, अभिकरण, राज्य चुनाव एवं सूचना आयोग के वेतन एवं भत्ते आदि	404.05	निरंक	404.05	324.58	निरंक	324.58
19	कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन	1,027.00	85.72	1,112.72	996.31	85.45	1,081.76
21	यात्रा भत्ता	134.98	1.10	136.08	106.46	1.18	107.64
22	कार्यालय व्यय	1,199.43	16.56	1,215.99	1,014.93	16.32	1,031.25
23	वाहनों का क्रय	85.33	0.39	85.72	27.33	0.39	27.72
24	परीक्षा तथा प्रशिक्षण	120.79	5.11	125.90	99.82	5.21	105.03
25	बिस्तरीय वस्त्र एवं शामियाना	6.73	निरंक	6.73	3.04	निरंक	3.04
26	संगोष्ठी, कार्यशाला एवं सम्मेलन	81.85	0.20	82.05	74.69	5.06	79.75
27	वृहद सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली	110.91	2.00	112.91	111.05	1.21	112.26
31	व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां	3,501.06	89.98	3,591.04	2,702.82	44.65	2,747.47
32	लघु निर्माण कार्य	353.44	निरंक	353.44	98.31	89.01	187.32
33	अनुरक्षण कार्य	3,398.31 ^(क)	0.27	3,398.58	1,352.48	134.50	1,486.98
34	सामग्री एवं पूर्तियां	2,184.42	266.47	2,450.89	2,508.39	266.13	2,774.52
35	विज्ञापन तथा प्रचार	510.99	0.04	511.03	310.22	1.16	311.38
36	विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर व्यय	5.80	निरंक	5.80	5.39	निरंक	5.39
37	मेला, उत्सव एवं प्रदर्शनी	25.31	निरंक	25.31	17.31	निरंक	17.31
41	छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां	3,241.82	निरंक	3,241.82	3,083.36	निरंक	3,083.36
42	सहायता अनुदान	69,489.90	256.18	69,746.08 ^(ख)	65,314.10	280.38	65,594.48
43	अंशदान	3,411.53	29.75	3,441.28	2,487.77	10.50	2,498.27

(क) यह परिशिष्ट-X के नीचे दर्शाए गए राजस्व अनुभाग के योग से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां लेखाओं में केवल निर्माण विभाग से संबंधित आंकड़े लिए गए हैं।

(ख) विवरण पत्रक संख्या 4 के सहायता अनुदान के आंकड़े, क्षेत्र क, ख एवं ग से संबंधित व्यय को शामिल करने तथा क्षेत्र-घ से संबंधित व्यय को शामिल नहीं करने के कारण से विवरण पत्रक संख्या 2 के आंकड़ों से भिन्न है।

विवरण पत्रक संख्या 15 के सहायता अनुदान के आंकड़े उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान, उद्देश्य शीर्ष 45-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान एवं उद्देश्य शीर्ष 46-सहायता अनुदान सशर्त से संबंधित राजस्व व्यय के पूँजी शीर्ष में सम्मिलित होने के कारण विवरण पत्रक संख्या 4 के आंकड़ों से भिन्न हैं।

विवरण पत्रक संख्या 4 – समाप्त

ख : प्रकृति अनुसार व्यय – समाप्त

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2022-23			2021-22		
		राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
44	राजसहायता	19,284.67	4.10	19,288.77	19,285.48	निरंक	19,285.48
45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिये सहायता अनुदान	547.51	415.00	962.51 ^(क)	687.45	316.04	1,003.49
46	सहायता अनुदान सशर्त	1,798.20	निरंक	1,798.20 ^(क)	निरंक	निरंक	निरंक
50	प्रतिकर का भुगतान	0.02	14.57	14.59	0.50	निरंक	0.50
51	अन्य प्रभार	935.90	6.67	942.57	985.20	26.02	1,011.22
52	ब्याज/लाभांश का भुगतान	20,043.00	निरंक	20,043.00	18,677.45	निरंक	18,677.45
53	डिक्री धन का भुगतान	92.01	46.87	138.88	11.80	1.59	13.39
54	क्षतिपूर्ति	32.70	111.85	144.55	25.93	8.82	34.75
55	उचंत	(-) 0.04	निरंक	(-) 0.04	(-) 0.02	निरंक	(-) 0.02
56	गोपनीय सेवा व्यय	10.41	निरंक	10.41	10.51	निरंक	10.51
58	कर तथा स्वत्व शुल्क का भुगतान	0.27	निरंक	0.27	0.51	निरंक	0.51
59	मुद्रांक पत्रों के मुद्रण पर व्यय	45.11	निरंक	45.11	52.07	निरंक	52.07
61	सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार एवं रूपांकित करना	1.21	9.22	10.43	2.57	53.79	56.36
62	भूमि तथा भवन का क्रय	निरंक	439.93	439.93	निरंक	337.58	337.58
63	मशीनें	2.71	970.75	973.46	5.69	407.76	413.45
64	वृहद निर्माण कार्य	निरंक	37,740.65	37,740.65	निरंक	33,392.71	33,392.71
65	निवेश	निरंक	2,371.94	2,371.94	निरंक	3,564.73	3,564.73
67	ऋण एवं अग्रिम	निरंक	16.89 ^(ख)	16.89	निरंक	निरंक	निरंक
68	वार्षिक वृत्ति (एन्यूटी)	निरंक	730.00	730.00	निरंक	769.15	769.15
71	ह्रास	0.08	निरंक	0.08	0.24	निरंक	0.24
73	अंतर लेखा हस्तांतरण	5,015.26	निरंक	5,015.26	5,641.63	निरंक	5,641.63
74	पुनर्प्राप्तियां	(-) 2,192.43	(-) 222.93	(-) 2,415.36	(-) 2,306.61	निरंक	(-) 2,306.61
	अन्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	1,99,895.26	44,438.37	2,44,333.63	1,81,061.30	40,733.11	2,21,794.41

(क) विवरण पत्रक संख्या 4 के सहायता अनुदान के आंकड़े उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान सशर्त से संबंधित राजस्व व्यय के पूंजी शीर्ष में सम्मिलित होने के कारण विवरण पत्रक संख्या 4 के आंकड़ों से भिन्न है।

विवरण पत्रक संख्या 15 के सहायता अनुदान के आंकड़े उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान, उद्देश्य शीर्ष 45-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, उद्देश्य शीर्ष एवं 46-सशर्त सहायता अनुदान से संबंधित राजस्व व्यय के पूंजी शीर्ष में सम्मिलित होने के कारण विवरण पत्रक संख्या 4 के आंकड़ों से भिन्न है।

(ख) राशि मुख्य शीर्ष 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय, से संबंधित है।

5 – प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक का प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक का प्रगामी व्यय	(₹ करोड़ में) प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
क	सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –					
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	633.55	3,545.90	616.77	4,162.67	(-) 3
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	7.46	22.14	0.33	22.47	(-) 96
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	341.61	3,899.26	527.07	4,426.33	54
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.07	158.31	21.12	179.43	248
	योग – क – सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	988.69	7,625.61	1,165.29	8,790.90	18
ख	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –					
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा –					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,493.87	9,677.13	2,145.07	11,822.20	44
	योग – (क) – शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	1,493.87	9,677.13	2,145.07	11,822.20	44
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा –					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	962.77	7,449.23	1,609.82	9,059.05	67
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	53.58	निरंक	53.58	--
	योग – (ख) – स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	962.77	7,502.81	1,609.82	9,112.63	67
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा –					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,928.65	27,263.93	6,739.49	34,003.42	(-) 25
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	56.94	975.99	28.03	1,004.02	(-) 51
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,831.03	7,027.13	2,339.13	9,366.26	28
	योग – (ग) – जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	10,816.62	35,267.05	9,106.65	44,373.70	(-) 16
(घ)	सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा –					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.22	4.20	0.89	5.09	304
	योग – (घ) – सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	0.22	4.20	0.89	5.09	304
(ङ)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा –					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	571.06	8,884.85	1,114.13	9,998.98	95
	योग – (ङ) – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	571.06	8,884.85	1,114.13	9,998.98	95
(च)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा –					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	99.01	1,647.16	177.96	1,825.12	80
	योग – (च) – समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	99.01	1,647.16	177.96	1,825.12	80
(ज)	अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा –					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	408.37	872.13	477.43	1,349.56	17
	योग – (ज) – अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा	408.37	872.13	477.43	1,349.56	17
	योग – ख – सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	14,351.92	63,855.34	14,631.95	78,487.29	2

विवरण संख्या 5 – जारी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक का प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक का प्रगामी व्यय	(₹ करोड़ में) प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ग	आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे –					
(क)	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा –					
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	70.97	656.16	25.00	681.16	(-) 65
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	191.09	निरंक	191.09	--
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	6.62	144.09	8.18	152.27	24
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	5.49	निरंक	5.49	--
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	11.96	निरंक	11.96	--
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	981.69	4,681.85	1,286.69	5,968.54	31
4408	खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	492.28	731.94	0.79	732.73	(-) 100
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1.90	निरंक	1.90	--
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	717.88	2,237.71	0.08	2,237.79	(-) 100
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	8.01	निरंक	8.01	--
	योग – (क) – कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा	2,269.44	8,670.20	1,320.74	9,990.94	(-) 42
(ख)	ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4,232.34	32,357.94	4,203.77	36,561.71	(-) 1
	योग – (ख) – ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	4,232.34	32,357.94	4,203.77	36,561.71	(-) 1
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा –					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,575.13	69,868.64	10,562.18	80,430.82	23
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,237.84	13,390.64	1,279.12	14,669.76	3
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	336.25	14,426.98	542.10	14,969.08	61
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	6.90	1,462.93	3.89	1,466.82	(-) 44
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.42	140.45	8.22	148.67	1857
	योग – (घ) – सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	10,156.54	99,289.64	12,395.51	1,11,685.15	22
(ङ)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा –					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	989.02	33,593.27	1,202.37	34,795.64	22
4810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	Nil	0.20	निरंक	0.20	--
	योग – (ङ) – ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	989.02	33,593.47	1,202.37	34,795.84	22
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	127.08	3,268.13	136.09	3,404.22	7
4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	49.10	निरंक	49.10	--
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	21.49	674.93	696.42	--
4854	सीमेंट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.02	निरंक	0.02	--
4858	इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.13	निरंक	0.13	--
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	8.78	निरंक	8.78	--
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	333.22	1,489.08	695.00	2,184.08	109
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	निरंक	468.58	निरंक	468.58	--
	योग – (च) – उद्योगों तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	460.30	5,305.31	1,506.02	6,811.33	227

विवरण संख्या 5 – समाप्त

						(₹ करोड़ में)
मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक का प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक का प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ग	आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे – समाप्त					
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा –					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	6.36	465.40	225.46	690.86	3445
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7,086.25	60,710.48	7,323.77	68,034.25	3
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	119.46	निरंक	119.46	--
	योग – (छ) – परिवहन का पूंजीगत लेखा	7,092.61	61,295.34	7,549.23	68,844.57	6
(झ)	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा –					
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	83.70	234.39	334.27	568.66	299
	योग – (झ) – विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	83.70	234.39	334.27	568.66	299
(ञ)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	107.14	1,245.76	128.00	1,373.76	19
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	निरंक	0.03	निरंक	0.03	--
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.41	14.88	1.22	16.10	(-) 13
	योग – (ञ) – सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	108.55	1,260.67	129.22	1,389.89	19
	योग – ग – आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे	25,392.50	2,42,006.96	28,641.13	2,70,648.09	13
	महायोग	40,733.11	3,13,487.91	44,438.37	3,57,926.28	9

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने ₹ 2,325.16^(क) करोड़ विभिन्न प्रतिष्ठानों में निवेशित किए (सांविधिक निगमों की अंशपूजी में ₹ 998.87 करोड़, सरकारी कम्पनियों में ₹ 1,334.56 करोड़ का निवेश तथा सहकारी समितियों की अंशपूजी में (-) ₹ 8.27 करोड़ का विनिवेश)।
- वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के अंत में सरकार का, विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंश पूजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 41,058.88 करोड़ तथा ₹ 43,384.04 करोड़ था। ₹ 43,384.04 करोड़ के निवेश के विरुद्ध वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने ₹ 159.58 करोड़ (निवेश का 0.37 प्रतिशत) लाभांश प्राप्त किया।
ब्यौरे, विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।

(क) निवल निवेश की राशि ₹ 2,325.16 करोड़ (सकल निवेश ₹ 2,371.93 एवं विनिवेश ₹ 46.77 करोड़)

6 – उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों^(क) का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	1 अप्रैल, 2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च, 2023 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का प्रतिशत
					राशि	प्रतिशत	
(क) लोक ऋण –							
6003 – राज्य सरकार का आंतरिक ऋण –							
बाजार ऋण	1,68,040.71	40,158.00	12,573.05	1,95,625.66	27,584.95	16.42	53.75
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	7,360.44	निरंक	736.00	6,624.44	(-) 736.00	(-) 10.00	1.82
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	13,050.09	2,198.55	1,992.87	13,255.77	205.68	1.58	3.64
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	34,561.90	5,845.57	4,485.74	35,921.73	1,359.83	3.93	9.87
योग – राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	2,23,013.14	48,202.12	19,787.66	2,51,427.60	28,414.46	12.74	69.08
6004 – केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम							
01 योजनेत्तर ऋण	17.75	निरंक	3.39	14.36	(-) 3.39	(-) 19.10	निरंक
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए ऋण	12,920.39	निरंक	2,215.19	10,705.20	(-) 2,215.19	(-) 17.14	2.94
07 1984-85 से पूर्व के ऋण	1.88	निरंक	निरंक	1.88	निरंक	निरंक	निरंक
09 राज्य/विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण	28,411.29	10,665.20	निरंक	39,076.49	10,665.20	37.54	10.74
योग – केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	41,351.31	10,665.20	2,218.58	49,797.93	8,446.62	20.43	13.68
योग – लोक ऋण	2,64,364.45	58,867.32	22,006.24	3,01,225.53	36,861.08	13.94	82.76

^(क) विस्तृत लेखा विवरण संख्या 17 और 21 में है।

विवरण संख्या 6 – जारी
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – जारी

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	1 अप्रैल, 2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च, 2023 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का प्रतिशत
(ख) अन्य दायित्व –							
लोक लेखा –							
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	19,310.64	4,057.27	5,348.17	18,019.74	(-) 1,290.90	(-) 6.68	4.95
ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	7,997.82	2,307.91	1,342.18	8,963.55	965.73	12.07	2.46
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	12,363.11	2,722.45	1,053.19	14,032.37	1,669.26	13.50	3.86
ब्याज वाली जमा	(-) 94.80	326.49	27.26	204.43	299.23	315.64	0.06
बिना ब्याज वाली जमा	19,276.88	51,270.68	49,040.74	21,506.82	2,229.94	11.57	5.91
योग – अन्य दायित्व	58,853.65	60,684.80	56,811.54	62,726.91	3,873.26	6.58	17.24
योग – लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	3,23,218.10	1,19,552.12	78,817.78	3,63,952.44	40,734.34	12.60	100.00

राज्य विधान मण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है, जो उन सीमाओं को निर्धारित करता हो, अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उधार ले सके।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण :- इसमें खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण हैं जिसमें बारह माह से अधिक की मुद्रा है, स्रोत अन्तरों को पूरा करने के लिये अस्थायी रूप की उधारियां तथा सरकार द्वारा स्वशासी निकायों से प्राप्त किए गए ऋण सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान सरकार ने निम्नलिखित ऋण जारी किए :- ₹ 4,000.00 करोड़ (7.85 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2032), ₹ 4,000.00 करोड़ (7.46 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2032), ₹ 1,000.00 करोड़ (8.64 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2033), ₹ 3,000.00 करोड़ (7.88 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2033), ₹ 2,000.00 करोड़ (7.67 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2033), ₹ 2,000.00 करोड़ (7.72 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2038), ₹ 3,000.00 करोड़ (7.64 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2033), ₹ 3,000.00 करोड़ (7.62 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2034), ₹ 3,000.00 करोड़ (7.59 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2038), ₹ 3,000.00 करोड़ (7.69 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2043), ₹ 3,000.00 करोड़ (7.77 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2043), ₹ 2,000.00 करोड़ (7.66 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2048), ₹ 2,158.00 करोड़ (7.38 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2025), ₹ 4,000.00 करोड़ (7.74 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2043) एवं ₹ 1,000.00 करोड़ (7.77 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2047), सममूल्य पर। ऋण पर वार्षिक ब्याज 7.85, 7.46, 8.64, 7.88, 7.67, 7.72, 7.64, 7.62, 7.59, 7.69, 7.77, 7.66, 7.38, 7.74 और 7.77 प्रतिशत है एवं वास्तविक मूल्यों पर क्रमशः 2032, 2032, 2033, 2033, 2033, 2038, 2033, 2034, 2038, 2043, 2043, 2048, 2025, 2043 और 2047 में प्रतिदेय है। कुल अभिदत्त राशि ₹ 40,158.00 करोड़ (रोकड़ : ₹ 40,158.00 करोड़, पुनर्भुगतान हेतु देय ऋण में परिवर्तन के कारण : ₹ निरंक) थी।

विवरण संख्या 6 – जारी
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी – जारी

वर्ष 2022–23 के दौरान 6.09 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2022, 8.92 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2022, 8.60 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2023, 8.60 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2023 (द्वितीय चरण), 8.64 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2023, 8.63 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2023, 4.94 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2023 और 4.77 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2023 उन्मोचित हुये। वर्ष के अंत में इन ऋणों के विरुद्ध निरंक शेष छोड़ते हुये वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 500.00 करोड़, ₹ 2,000.00 करोड़, ₹ 1,000.00 करोड़, ₹ 1,000.00 करोड़, ₹ 2,000 करोड़, ₹ 1,500.00 करोड़, ₹ 1,000 करोड़ और ₹ 4,473.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया।

अल्प कालीन उधारियाँ :- इस श्रेणी के ऋण में बारह मासों के अन्दर प्रतिदेय पूर्णतः अस्थाई प्रकार की उधारियाँ, जैसे – भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्ष के आरंभ में अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निरंक शेष थे। वर्ष के अंत में निरंक शेष छोड़ते हुए, वर्ष के दौरान कोई भी राशि प्राप्त तथा पुनर्भुगतान नहीं की गई। वर्ष के दौरान ब्याज का कोई भी भुगतान नहीं किया गया। विस्तृत ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिए गए हैं।

स्वायत्त निकायों से ऋण :- उधारियों की इस श्रेणी में सरकार द्वारा विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे कि – भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, आवास और नगरीय विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास मण्डल, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र से प्राप्त किये गए ऋण सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान सरकार ने ऐसे निकायों से ₹ 2,198.55 करोड़ ऋण के रूप में प्राप्त किए और ₹ 2,728.87 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। 31 मार्च 2023 के अंत में इस प्रकार के ऋणों का बकाया शेष ₹ 19,880.21 करोड़ था। विभिन्न स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों पर सरकार ने ₹ 1,088.04 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किए।

स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों के पूर्ण ब्यौरे विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

परिशोधन हेतु व्यवस्था :- राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना अनिवार्य हो, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के परिशोधन हेतु व्यवस्था, जहां ऐसी परिशोधन व्यवस्था के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध हों, केवल राजस्व से करनी चाहिए। राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी ऋण के लिए परिशोधन हेतु व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा है।

लघु बचत निधियों से ऋण :- 'लघु बचत योजना' तथा 'लोक भविष्य निधि' का डाकखानों में संग्रहण से ऋण, को राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य 3 : 1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 'लघु बचत संग्रहण' से ऋण जारी करने के प्रयोजन से 1999–2000 में एक पृथक निधि अर्थात् 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' निर्मित की गई थी। वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 5,845.57 करोड़ के ऋण प्राप्त किये गये तथा वर्ष के दौरान ₹ 4,485.74 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 35,921.73 करोड़ शेष बकाया था, जो कि 31 मार्च 2023 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का 9.87 प्रतिशत था।

भारत सरकार से ऋण :- 31 मार्च 2023 को भारत सरकार से प्राप्त ऋण कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का 13.68 प्रतिशत था।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से लिये गए ऋणों के ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिये गए हैं।

वर्ष के दौरान भारत सरकार से ₹ 10,665.20 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 के दौरान कर्ज के पुनर्भुगतान के रूप में ₹ 2,218.58 करोड़ का भुगतान तथा ब्याज के रूप में ₹ 1,007.99 करोड़ का भुगतान किया।

पुनर्वास ऋण :- विस्थापित तथा वापस लौटे इत्यादि व्यक्तियों के 'पुनर्वास' के लिए ऋणों के प्रकरण में, 1974 से पूर्व के ऋण तथा 1974–75 से 1983–84 के वर्षों के दौरान प्राप्त पुनः ऋण माफ किये गए तथा 31 मार्च 1989 को शेष को भारत सरकार के आदेशों के अधीन ₹ 0.67 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना है।

विवरण संख्या 6 – समाप्त
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – समाप्त
व्याख्यात्मक टिप्पणी – समाप्त

ऋण सेवा

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज :- वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान राजस्व से पूरे किए गए, बकाया सकल ऋण, अन्य दायित्वों एवं ब्याज प्रभारों की निवल राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं :-

	(₹ करोड़ में)		
	2022-23	2021-22	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)
(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व –			
(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	3,19,245.27	2,83,675.09	35,570.18
(ख) अन्य दायित्व	44,707.17	39,543.01	5,164.16
योग – (i)	3,63,952.44	3,23,218.10	40,734.34
(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज –			
(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	19,433.44	17,893.41	1,540.03
(ख) अन्य दायित्वों पर	19.82	552.50	(-) 532.68
योग – (ii)	19,453.26	18,445.91	1,007.35
(iii) घटाएँ –			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	4,032.81	1,431.69	2,601.12
(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	166.17	196.99	(-) 30.82
योग – (iii)	4,198.98	1,628.68	2,570.30
(iv) निवल ब्याज प्रभार (ii) – (iii)	15,254.28	16,817.23	(-) 1,562.95
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज (मद (ii)) की प्रतिशतता	9.54	9.92	(-) 0.38
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज (मद (iv)) की प्रतिशतता	7.48	9.05	(-) 1.57

इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्राप्तियाँ तथा कुल समायोजन थे जिनका कुल योग ₹ 370.49 करोड़ था, जैसे – वाणिज्यिक विभागों से प्राप्त ब्याज, बकाया राजस्व पर ब्याज, बैंक से प्राप्त दंडात्मक ब्याज, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु खोले गये विंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खातों में जमा राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश पर अर्जित ब्याज) एवं 'विविध' लेखा पर ब्याज। अगर यह भी घटाया जाता है तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 14,883.81 होगा जो कि राजस्व प्राप्ति का 7.30 प्रतिशत है।

राज्य सरकार ने विभिन्न उपक्रमों में निवेश के विरुद्ध लाभांश के रूप में वर्ष के दौरान ₹ 159.58 करोड़ प्राप्त किए।

ऋण में कमी या परिहार के लिये विनियोग : 1976-77 से जारी ऋणों के लिये अधिसूचित शर्तों में सरकार की ओर से इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया इसलिए 2022-23 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया।

7 – सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक

अनुभाग – 1 ऋणों और अग्रिमों का सार : ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2022 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बड़े खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम ^(क)	31 मार्च 2023 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि/कमी (6-2)	ब्याज भुगतान की बकाया राशि ^(क)
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान	380.34	25.00	0.17	--	405.17	24.83	--
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम	2,521.59	--	--	--	2,521.59	--	--
शहरी विकास प्राधिकरण	1,642.68	253.02	52.00	--	1,843.70	201.02	--
गृह निर्माण मण्डल	175.44	--	--	--	175.44	--	--
राज्य आवास निगम	0.51	371.51	--	--	372.02	371.51	--
पंचायती राज संस्थान	0.77	--	--	--	0.77	--	--
सांविधिक निगम	6,769.74	211.19	199.89	--	6,781.04	11.30	--
सरकारी कंपनियां	26,752.72	1,499.44	1,192.96	--	27,059.20	306.48	--
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	1,575.80	--	13.02	--	1,562.78	(-) 13.02	--
अन्य	6,926.39	--	0.08	--	6,926.31	(-) 0.08	--
शासकीय कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	19.09	0.01	--	--	19.10	0.01	--
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	158.60	--	--	--	158.60	--	--
योग – ऋण और अग्रिम	46,923.67	2,360.17	1,458.12	--	47,825.72	902.05	--

(क) राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 7 – समाप्त

‘निरन्तर ऋण’ के रूप में स्वीकृत ऋणों के प्रकरण निम्नानुसार हैं :-

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	ऋणी इकाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज की दर
1	2	3	4	5	6
राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है।					

अनुभाग – 2 ऋणों और अग्रिमों का सार : क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2022 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बड़े खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम ^(क)	31 मार्च 2023 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि/कमी (6-2)	ब्याज भुगतान की बकाया राशि ^(क)
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवायें	1,488.82	48.86	0.79	--	1,536.89	48.07	--
सामाजिक सेवायें	5,190.76	1,251.53	52.24	--	6,390.05	1,199.29	--
आर्थिक सेवायें	40,224.96	1,059.77	1,405.09	--	39,879.64	(-) 345.32	--
शासकीय कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	19.09	0.01	--	--	19.10	0.01	--
विविध प्रयोजनों के लिये ऋण	0.04	--	--	--	0.04	--	--
योग – ऋण और अग्रिम	46,923.67	2,360.17	1,458.12	--	47,825.72	902.05	--

टीप :- विस्तृत विवरण के लिए विवरण पत्रक संख्या 18 के अनुभाग एक – राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का संदर्भ लें।

अनुभाग – 3 ऋणी इकाईयों से बकाया पुनर्भुगतान का सार :

(₹ करोड़ में)

ऋणी इकाईयां	दिनांक 31 मार्च 2023 को बकाया राशि			सबसे पूर्व का वर्ष जिससे बकाया राशि सम्बन्धित है	इकाई के विरुद्ध दिनांक 31 मार्च 2023 को ऋण की बकाया राशि
	मूलधन	ब्याज	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
राज्य शासन से जानकारी प्रतीक्षित है।					

(क) राज्य शासन से जानकारी प्रतीक्षित है।

8 – सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक

सरकार का विभिन्न संस्थानों की अंश पूंजी तथा ऋण-पत्रों में 2021-22 तथा 2022-23 में निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

	संस्थान का नाम	2022-23			2021-22		
		संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
1	सांविधिक निगम	35	13,018.59	135.00	35	12,019.72	110.37
2	सरकारी कंपनियाँ ^(क)	52	27,992.26	23.22	44	26,657.70	24.60
3	संयुक्त पूंजी कंपनियाँ और साझेदारियाँ	24	1.31	0.08	24	1.31	0.04
4	बैंक	01	निरंक ^(ख)	निरंक	01	निरंक ^(ख)	निरंक
5	सहकारिता	129	2,371.88	1.28	129	2,380.15	3.72
	योग	241	43,384.04	159.58	233	41,058.88	138.73

^(क) वर्ष 2022-23 के दौरान आठ नई कंपनियों यथा – म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड, सागर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड, सागर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड, सतना स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड, जबलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को शामिल किया गया है।

^(ख) ऊपर दिये सरल क्रमांक 4 'बैंक' के समक्ष आंकड़ों को नहीं दर्शाया गया है क्योंकि इस विवरण पत्रक में आंकड़े 'करोड़' रुपये में दर्शाये गये हैं।

9 – सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋण आदि के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूतियां एवं दिनांक 31 मार्च 2023 को विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बकाया प्रत्याभूतियों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

प्रत्याभूतियों का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष 2022-23 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतित राशि	01.04.2022 की स्थिति में बकाया (मूल+ ब्याज)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन (वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		31.03.2023 की स्थिति में बकाया (मूल+ब्याज)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित नहीं की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रेणी-1										
विद्युत (29)	17,857.62	3,263.82	3,497.22	2,045.40	निरंक	निरंक	4,715.64	20.81	36.58	निरंक
म.प्र. राज्य वित्तीय निगम (8)	700.00	379.59	निरंक	142.34	निरंक	निरंक	237.25	निरंक	निरंक	निरंक
सहकारिता (2)	3,250.00	निरंक	3,250.00	3,048.09	निरंक	निरंक	201.91	निरंक	निरंक	निरंक
शहरी विकास एवं आवास (369)	7,331.55	2,821.72	1,699.09	261.09	निरंक	निरंक	4,259.72	83.06	निरंक	निरंक
अन्य (128)	38,485.20	28,540.39	29,685.00	27,851.44	निरंक	निरंक	30,373.95	8.22	निरंक	निरंक
योग (536)	67,624.37	35,005.52	38,131.31	33,348.36	निरंक	निरंक	39,788.47	112.09	36.58	निरंक

10 – सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक

- (i) वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त निधियों एवं परिसंपत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधियों का विवरण :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि			स्तम्भ क्र.2 के अंतर्गत दर्शित कुल विमुक्त निधि में से परिसंपत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधि		
	(1)	(2)		(3)		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग
पंचायती राज संस्थान	9,306.60	11,134.80	20,441.40	निरंक	निरंक	निरंक
शहरी स्थानीय निकाय	5,877.30	1,112.31	6,989.61	481.11	निरंक	481.11
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	106.90	0.96	107.86	निरंक	निरंक	निरंक
स्वायत्त निकाय	1,924.98	2,340.06	4,265.04	निरंक	निरंक	निरंक
अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.)	1,019.81	28.00	1,047.81	निरंक	निरंक	निरंक
अन्य	33,813.04	5,842.04	39,655.08	79.75	401.65	481.40
योग	52,048.63	20,458.17	72,506.80	560.86	401.65	962.51

- (ii) वस्तुरूप में सहायता अनुदान एवं पूंजीगत प्रकृति की परिसंपत्तियों के वस्तु के रूप में सहायता अनुदान के कुल मूल्य का विवरण :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी	वस्तुरूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजीगत प्रकृति की परिसंपत्तियों के रूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य
(1)	(2)	(3)
राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है		

11 – दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2022-23			2021-22		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	21,466.37	1,78,428.89	1,99,895.26	20,278.44	1,60,782.86	1,81,061.30
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	373.22	44,065.15	44,438.37	339.02	40,394.09	40,733.11
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अंतर्राज्यीय परिशोधन तथा आकस्मिकता निधि को अंतरण के अन्तर्गत संवितरण (क)	22,006.24	2,359.22	24,365.46	15,162.44	37,29.89	18,892.33
योग	43,845.83	2,24,853.26	2,68,699.09	35,779.90	2,04,906.84	2,40,686.74
क – ये आंकड़े इस प्रकार निकाले गये हैं :-						
ड लोक ऋण –						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	19,787.66 ^(क)	निरंक	19,787.66	13,376.71	निरंक	13,376.71
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	2,218.58 ^(क)	निरंक	2,218.58	1,785.73	निरंक	1,785.73
च ऋण तथा उधार ^(ख) –						
सामान्य सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	48.86	48.86	निरंक	158.96	158.96
सामाजिक सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	1,251.53	1,251.53	निरंक	1,671.67	1,671.67
आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	1,059.77	1,059.77	निरंक	1,398.06	1,398.06
सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	निरंक	0.01	0.01	निरंक	निरंक	निरंक
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
छ अंतर्राज्यीय परिशोधन –						
अंतर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	(-) 0.95	(-) 0.95	निरंक	1.20	1.20
ज आकस्मिकता निधि को अंतरण –						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	500.00	500.00
योग	22,006.24	2,359.22	24,365.46	15,162.44	3,729.89	18,892.33

वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत निम्नानुसार था :-

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2021-22	14.87	85.13
2022-23	16.32	83.68

(क) यद्यपि मुख्यशीर्ष 6003 तथा 6004 के अंतर्गत व्यय, प्रभारित व्यय है। इसको छोड़कर, अन्य संबंधित विवरण पत्रकों में तदनुसार यह नहीं दर्शाया गया है।

(ख) विस्तृत ब्योरेवार लेखे विवरण सं. 18 में दिये गए हैं।

12 – राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्र वार)			
सामान्य सेवाएं	7,625.61	1,165.29	8,790.90
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	9,677.13	2,145.07	11,822.20
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	7,502.82	1,609.82	9,112.64
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	35,267.05	9,106.65	44,373.70
सूचना एवं प्रसारण	4.20	0.89	5.09
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	8,884.85	1,114.13	9,998.98
समाज कल्याण तथा पोषण	1,647.16	177.96	1,825.12
अन्य सामाजिक सेवाएं	872.13	477.43	1,349.56
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	8,670.20	1,320.74	9,990.94
ग्रामीण विकास	32,357.94	4,203.77	36,561.71
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	99,289.64	12,395.51	1,11,685.15
ऊर्जा	33,593.47	1,202.37	34,795.84
उद्योग तथा खनिज	5,305.31	1,506.02	6,811.33
परिवहन	61,295.42 ^(क)	7,549.23	68,844.65
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	234.39	334.27	568.66
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,260.67	129.22	1,389.89
योग-पूँजीगत व्यय	3,13,487.99	44,438.37	3,57,926.36

(क) अगले पृष्ठ पर कटौती अंशदान आदि के रूप में दर्शाए गए आरक्षित निधि से ₹ 0.08 करोड़ का अंशदान शामिल है।

विवरण संख्या 12 – जारी

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय – समाप्त			
ऋण एवं अग्रिम			
विभिन्न सेवाओं के लिये ऋण एवं अग्रिम—			
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति,	378.68	24.84	403.52
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,761.17	1,174.53	5,935.70
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	42.54	(-) 0.07	42.47
समाज कल्याण तथा पोषण	3.02	निरंक	3.02
अन्य (सामान्य एवं सामाजिक सेवायें)	1,494.18	48.06	1,542.24
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	2,451.10	(-) 150.22	2,300.88
ग्रामीण विकास	1.59	निरंक	1.59
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	14.78	निरंक	14.78
ऊर्जा	34,402.43	740.58	35,143.01
उद्योग तथा खनिज	3,283.12	(-) 935.67	2,347.45
परिवहन	71.83	निरंक	71.83
सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.09	निरंक	0.09
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	19.09	0.01	19.10
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	0.04
योग—ऋण एवं अग्रिम	46,923.67	902.06	47,825.73
आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	निरंक	निरंक
योग—पूँजीगत तथा अन्य व्यय	3,60,411.66	45,340.43	4,05,752.09
घटाएं			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	निरंक	निरंक	निरंक
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान ^(क)	2,259.17	46.77	2,305.94
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	0.08	निरंक	0.08
निवल – पूँजीगत तथा अन्य व्यय	3,58,152.41	45,293.66	4,03,446.07

(क) विनिवेश की प्राप्तियाँ/पूँजी की निवृत्ति।

विवरण संख्या 12 – जारी

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 को
निधियों का मुख्य स्रोत			
ऋण –			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	2,23,013.14	28,414.46	2,51,427.60
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	41,351.31	8,446.62	49,797.93
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	19,310.64	(-) 1,290.90	18,019.74
योग-ऋण	2,83,675.09	35,570.18	3,19,245.27
अन्य प्राप्तियां			
आकस्मिकता निधि	1,000.00	(-) 19.40	980.60
आरक्षित निधियां	21,334.71	2,634.99	23,969.70
जमा एवं अग्रिम	19,178.60	2,529.16	21,707.76
उच्चत एवं विविध (सरकारी लेखों को संवृत्त राशि तथा रोकड़ शेष निवेश लेखा तथा मध्य भारत रेलवे तथा मिलिट्री निधियों के निवेश लेखों को छोड़कर)	882.03	1,450.68	2,332.71
प्रेषण	4,782.10	895.24	5,677.34
योग-अन्य प्राप्तियां	47,177.44	7,490.67	54,668.11
योग-ऋण तथा अन्य प्राप्तियां	3,30,852.53	43,060.85	3,73,913.38
घटाएँ : रोकड़ शेष	(-) 1,117.71	(-) 3,852.10	(-) 4,969.81
घटायें : निवेश	18,415.40	5,707.76	24,123.16
योग	3,13,554.84	41,205.19	3,54,760.03
घटायें : राजस्व घाटा / जोड़ें : राजस्व आधिक्य	निरंक	4,090.93	निरंक
जोड़ें – निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन^(क)	(-) 1,920.31	निरंक	(-) 1,967.08
जोड़ें – 2022-23 के दौरान सरकारी लेखों को संवृत्त राशि	निरंक	(-) 2.64	निरंक
2021-22 के लिये अन्तर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	0.17	निरंक
निधियों का निवल प्रावधान	3,11,634.53	45,293.65	3,52,792.95

(क) पंक्ति मद के अंतर्गत राशि विवरण को संतुलित करने के लिये शामिल की गई है।

विवरण संख्या 12 – समाप्त

2022-23 के अंत तक निवल पूंजीगत तथा अन्य व्यय में अंतर एवं निधियों के मुख्य स्रोत के योग को नीचे स्पष्ट किया गया है :-

	(₹ करोड़ में)
प्रगामी निवल पूंजीगत और अन्य व्यय	4,03,446.07
निधियों के प्रगामी मुख्य स्रोत	3,52,792.95
अंतर	50,653.12^(क)
₹ 50,653.12 करोड़ का अंतर नीचे स्पष्ट किया गया है :-	
संचयी राजस्व आधिक्य	51,366.19
सरकारी लेखों को बंद राशि	(-) 58.74
अंतर्राज्यीय परिशोधन 2001-02, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23	(-) 5.43
पूर्णांकन के कारण अंतर 2000-01	(-) 0.01
छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19	991.40
2006-07, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में विनिवेश के कारण मुख्य शीर्ष 4000-01-800 में वर्गीकृत करने के कारण पूंजीगत व्यय से प्रोफार्मा में कमी की गई	1,580.27
ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत 2020-21 में मु.शी. 6801-190 में प्रोफार्मा कमी की गई	(-) 500.00
छत्तीसगढ़ को आवंटन तथा स्वीकृति में संशोधन के कारण पूंजीगत शीर्षों में कमी की गई	(-) 2,810.57
8011-105 में प्रोफार्मा कमी	2.49
8121-115 में प्रोफार्मा वृद्धि	(-) 76.13
8121-122 में प्रोफार्मा कमी	998.53
8235-111 में प्रोफार्मा कमी	162.84
8658-112 में प्रोफार्मा कमी	3.82
8658-113 में प्रोफार्मा वृद्धि	(-) 1.54
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	(-) 1,000.00
योग	50,653.12

(क) यह राशि मुख्य शीर्ष 4000-विविध पूंजीगत प्राप्तियां, 800-अन्य प्राप्तियां से संबंधित ₹ 329.66 करोड़ के कारण तथा 2006-07 के सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजीगत/विनिवेश के सेवानिवृत्त से संबंधित ₹ 9.19 करोड़ के कारण विवरण संख्या 1 से भिन्न है।

13 – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश

			(₹ करोड़ में)	
नामे शेष	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष	
3,06,934.33 ^(क)	क से घ, छ, ज और ठ का अंश (केवल मुख्यशीर्ष 8680)	समेकित निधि –		
		शासकीय लेखे		
47,825.72		ङ	लोक ऋण	3,01,225.53
		च	ऋण तथा अग्रिम	
			आकस्मिकता निधि–	
			आकस्मिकता निधि	980.60
			लोक लेखा–	
		झ	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	18,019.74
		ज	आरक्षित निधियाँ–	
			(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	8,963.55
		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	15,006.13	
973.76		सकल शेष	23,969.68	
		निवेश		
	ट	जमा तथा अग्रिम–		
		(i) ब्याज वाली जमा	204.43	
3.49		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	21,506.83	
		(iii) अग्रिम		
	ठ	उच्चन्त तथा विविध–		
23,149.64		निवेश		
		अन्य मदें (निवल)	2,332.97	
	ड	प्रेषण	5,677.34	
(-) 4,969.81 ^(ख)	ढ	रोकड़ शेष		
3,73,917.13		योग	3,73,917.13	

(क) विवरण के लिए कृपया आगामी पृष्ठ पर पैरा एवं उसके नीचे की तालिका देखें।

(ख) विस्तृत विवरण के लिए कृपया विवरण पत्रक-2 के अनुलग्नक के नीचे पाद टिप्पणी (ग) देखें।

विवरण संख्या 13 – समाप्त

सरकारी लेखा :- सरकारी लेखों में अपनवाई गई बही खाता पद्धति के अंतर्गत राजस्व, पूँजीगत शीर्षों तथा सरकार के अन्य लेन-देनों के अंतर्गत अंकित की गई राशियाँ जिनके शेष प्रतिवर्ष लेखाओं में आगे नहीं ले जाए जाते हैं, को 'सरकारी लेखा' नामक एकल शीर्ष को संवर्तित किये जाते हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होते हैं, वे ऐसे सभी लेन-देनों के संचयी परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा तथा अग्रिम, उचंत तथा विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण तथा आकस्मिकता निधि आदि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अंत में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और प्रमाणित किया जाता है।

इस सारांश के शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत आने वाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है, जिनके संबंध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण संव्यवहारों के समायोजन के लिये बहियों में खोले गये लेखा शीर्ष भी सम्मिलित है।

यह भी समझ लेना चाहिये कि, ये शेष सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य की समस्त भौतिक परिसंपत्तियों यथा-भूमि, भवन, संचार साधन आदि को शामिल नहीं करते हैं, न ही कोई उपार्जित-देय राशियाँ अथवा बकाया दायित्व, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली नकद आधार की लेखा विधि के अंतर्गत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के अंत में सरकारी लेखे के नामे निवल राशि निम्नानुसार निकाली गई है :-

(₹ करोड़ में)

नामे	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे के नाम	जमा
2,66,631.19	क	1 अप्रैल, 2022 को सरकारी लेखे का नामे शेष	निरंक
निरंक	ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	2,03,986.19
निरंक	ग	विविध पूँजीगत प्राप्तिर्यो	46.77
1,99,895.26 ^(क)	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	निरंक
44,438.37 ^(ख)	ङ	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	निरंक
(-) 0.95	च	अंतर्राज्यीय परिशोधन (मु.शी. 7810)	(-) 0.78
2.64	छ	उचंत तथा विविध (मु.शी. 8680)	निरंक
निरंक	ज	आकस्मिकता निधि का अंतरण (मु.शी. 7999)	निरंक
निरंक		31 मार्च, 2023 को सरकारी लेखे के नामे शेष	3,06,934.33
5,10,966.51		योग	5,10,966.51

टीप :-

- कई प्रकरणों में अंतशेषों में मिलान न हो पाने वाले अंतर हैं। विसंगतियों के निपटान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
- संबंधित अधिकारियों को प्रतिवर्ष उनके सत्यापन और स्वीकारोक्ति हेतु शेष संप्रेषित किये जाते हैं। अधिकतर प्रकरणों में ऐसी स्वीकारोक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(क) ₹ 2,02,087.69 करोड़ के सकल राजस्व व्यय में से पुनर्प्राप्तियों की राशि ₹ 2,192.43 करोड़ घटाने पर यह परिणाम है। (संदर्भ – विनियोग लेखे का परिशिष्ट-1)

(ख) ₹ 44,661.30 करोड़ के सकल राजस्व व्यय में से पुनर्प्राप्तियों की राशि ₹ 222.93 करोड़ घटाने पर यह परिणाम है (संदर्भ – विनियोग लेखे का परिशिष्ट-1)

वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश:

(i) प्रस्तुतिकरण इकाई : ये लेखे मध्य प्रदेश सरकार के लेन-देनों को प्रस्तुत करते हैं। मध्यप्रदेश सरकार के प्राप्तियों और व्यय के लेखे 54 कोषालयों, 133 लोक निर्माण संभागों, 125 सिंचाई संभागों, 72 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभागों, 60 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, 73 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, 05 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रारंभिक लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सूचनाओं के आधार पर संकलित किये गए हैं। किसी भी लेखे को वर्ष की समाप्ति पर अपवर्जित नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक संकलन कोषालय द्वारा किया जाता है तथा द्वितीयक संकलन कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा किया जाता है।

(ii) प्रस्तुतिकरण अवधि : इन लेखों की प्रस्तुतिकरण अवधि 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है।

(iii) प्रस्तुतिकरण मुद्रा : मध्यप्रदेश सरकार के लेखे भारतीय मुद्रा रुपये (₹) में रिपोर्ट किये जाते हैं।

(iv) लेखाओं का प्रारूप : भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत, संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा, जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर निर्धारित करें। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' व्यापक अर्थों में है, जिसमें न केवल विस्तारित प्रारूप का निर्धारण शामिल है जिनमें लेखे रखे जाते हैं, अपितु लेखे के उपयुक्त शीर्षों के चयन का आधार भी है जिनके अंतर्गत लेन-देनों को वर्गीकृत किया जाता है, जो लेखे की रूपरेखा बनाता है।

(v) बजट और वित्तीय प्रस्तुतिकरण का आधार : भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट कहा जाता है) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व अनुदान/विनियोजन के रूप में विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। बजट, प्राप्तियों और पुनःप्राप्तियों, जिन्हें अन्यथा व्यय की कमी के रूप में लेने की अनुमति होती है, के बिना सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। बजट और लेखे के शीर्षों से सम्बन्धित सभी अनुदानों/विनियोगों, जिनका शेष अग्रेषित नहीं किया जाता है, वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत होते हैं।

बजट एवं लेखे : राज्य के बजट एवं लेखे दोनों समान लेखांकन अवधि, रोकड़ आधारित लेखांकन तथा वर्गीकरण के समरूप आधार का अनुसरण करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, महालेखा नियंत्रक (सी.जी.ए.) द्वारा अधिसूचित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लेखे को लघु शीर्ष स्तर तक वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा सहमति पर लघु शीर्ष से नीचे वर्गीकरण अनुसरण किये जाते हैं।

एक पृथक बजट तुलनात्मक विवरण विनियोग लेखे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदानों/विनियोगों की तुलना में वास्तविक संवितरण प्रस्तुत करता है।

रोकड़ आधार : पुस्तकीय समायोजन जो कि प्राधिकृत है के अपवाद के साथ लेखे प्रस्तुतिकरण अवधि के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों और संवितरण को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखे में प्राप्तियां और संवितरण निवल आधार पर हैं अर्थात् वसूलियां, कटौतियां तथा वापसियों का निवल।

पुस्तकीय समायोजन : पुस्तकीय समायोजन गैर-नकदी लेन-देन है, जो समायोजन/निपटान के रूप में लेखे में प्रदर्शित होते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रदान करने वाली इकाइयों जैसे कोषालयों, संभागों इत्यादि के स्तर पर होते हैं, जो लोक लेखा और संचित निधि के बीच धन अंतरण

हेतु 'शून्य' बिल, राजस्व प्राप्तियों/ऋण/लोक लेखा में वेतन से कटौतियों एवं वसूलियों के समायोजन हेतु होते हैं।

पुस्तकीय समायोजन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में भी किये जाते हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ, संचित निधि को डेबिट करके लोक लेखे में निधियों का सृजन और अंशदान (उदाहरणार्थ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि, ऋण शोधन निधि आदि), संचित निधि को डेबिट करके लोक लेखे में लेखे के जमा शीर्ष को क्रेडिट करना, सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज के वार्षिक समायोजन हेतु मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान को डेबिट तथा लोक लेखे में संगत मुख्य शीर्ष को क्रेडिट करना, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित भारत सरकार की योजना के अंतर्गत कर्ज अधित्याग समायोजन, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति आदि सम्मिलित है।

पूँजीगत एवं राजस्व व्यय में वर्गीकरण : स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसंपत्ति (संगठन में उपयोग के लिए एवं व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में बिक्री हेतु नहीं) को अर्जित करने के उद्देश्य या मौजूदा परिसंपत्ति की उपयोगिता बढ़ाने में किए गए महत्वपूर्ण व्यय को मुख्यतः पूँजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुरक्षण, मरम्मत, समारक्षण एवं कार्यचालन व्यय पर उत्तरवर्ती खर्चे जो परिसंपत्तियों को चालू क्रम में बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं और साथ ही संगठन के दैनंदिन संचालन के लिए किये गए अन्य सभी व्यय, जिसमें स्थापना और प्रशासनिक व्यय शामिल है, को राजस्व व्यय के रूप से वर्गीकृत किया जाता है। लेखे में पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को पृथक-पृथक दर्शाया जाता है।

भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियां व दायित्व : भौतिक परिसंपत्तियां एवं वित्तीय परिसंपत्तियां (जैसे निवेश, सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम आदि) के साथ-साथ देनदारियां जैसे ऋण आदि का ऐतिहासिक लागत पर मापन किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यहास नहीं किया जाता है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों पर उनके जीवन काल के अंत में हुई हानि को भी खर्च या मान्य नहीं किया जाता है।

सहायता अनुदान : भारत सरकार लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) 2 : सहायता अनुदान का वर्गीकरण एवं लेखांकन, के अनुपालन में नकदी में सहायता अनुदान को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत मामलों के सिवाय, संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही अनुदानग्रहिता द्वारा इसका उपयोग परिसंपत्तियों के सृजन सम्मिलित किया जाता है। सभी प्राप्त अनुदान, राजस्व प्राप्तियों के रूप में मान्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये सहायता अनुदान के लेखांकन एवं वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने का विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 तथा परिशिष्ट III में दर्शाया जाता है। वस्तु के रूप में दिये गए सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ऋण एवं अग्रिम : भारत सरकार लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) 3 के अनुपालन में : सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा वित्त लेखे के विवरण संख्या 7 एवं 18 में प्रदर्शित किया जाता है। 31 मार्च 2023 तक विवरणों में प्रदर्शित अंत शेष की स्वीकृति राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

सेवानिवृत्ति लाभ : प्रस्तुतिकरण अवधि के दौरान संवितरित सेवानिवृत्ति लाभ लेखे में परिलक्षित किये गये हैं, किन्तु पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार की भविष्य की पेंशन देनदारियां अर्थात् सरकारी कर्मचारी की अतीत और वर्तमान सेवा हेतु सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान की देनदारियां लेखे में समाविष्ट नहीं है।

(vi) पूर्णांकन : ये लेखे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें लाख ₹ एवं करोड़ ₹ में पूर्णांकित किया जाता है, जैसा कि संबंधित विवरण पत्रकों के शीर्ष पर दर्शाया जाता है। खंड-1 एवं खंड-2 के क्रमशः संक्षिप्त विवरण पत्रकों एवं विस्तृत विवरण पत्रकों के मध्य, ₹ 0.01/0.02 लाख/करोड़ का न्यून अंतर, जहाँ भी घटित हो रहा है, पूर्णांकन के कारण है।

(vii) रोकड़ शेष : लेखे में दर्ज रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा राज्य सरकार के लेखे में दर्ज एक वर्ष के 31 मार्च के अंत तक राज्य की शेष राशि है। रोकड़ शेष वर्ष के लिए राज्य की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे में अंतर्निहित रोकड़ लेन-देन के बाद शेष राशि दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते हैं। वित्त लेखे में दर्ज नकद शेष भारतीय रिजर्व बैंक के पुस्तकों से पुनर्मिलान के अधीन है। मध्य प्रदेश सरकार की रोकड़ शेष स्थिति कंडिका 5(vii) में दर्शायी गई है।

(viii) आकस्मिक और प्रतिबद्ध देनदारियों का प्रकटीकरण : आकस्मिक देनदारियां अभिज्ञात नहीं होती हैं। भारत सरकार लेखांकन मानक (आई.जी.एस.एस.) 1 के अनुपालन में : 'सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के अनुसार प्रत्याभूतियों के क्षेत्रवार ब्यौरे वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में प्रकट किए गए हैं।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती एवं लेखे में प्रतिबद्धताओं को दर्ज नहीं किया जाता है और न ही मान्य प्रतिबद्धता के विरुद्ध दायित्व दर्ज की जाती हैं। राज्य सरकार से वित्त लेखे में 'परिशिष्ट XII-सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं' हेतु जानकारी भी प्रतीक्षित है।

(ix) पास थू लेन-देन : राज्य द्वारा संग्रहित प्राप्तियों की प्रकृति में पास थू लेन-देन को अन्य इकाई में अंतरण करने की आवश्यकता को वित्त लेखे पर टिप्पणियों में दर्शाया जाता है। इसमें राज्य कैम्पा निधि में वर्ष के संग्रह का 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में हस्तांतरित करना शामिल नहीं है, वर्ष 2022-23 के दौरान एकत्रित राशि को उपयोगकर्ता एजेंसियों ने सीधे भारत सरकार के कैम्पा निधि में जमा किया है।

2. लेखांकन ढांचा का अनुपालन :

(i) मासिक लेखे के संवरण के पश्चात कोषालयों द्वारा लेखाओं की नॉन फ्रीजिंग : मासिक लेखे के संवरण के पश्चात कोषालयों द्वारा लेखाओं को फ्रीज नहीं किये जाने से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में मासिक लेखे की प्रस्तुतिकरण के पश्चात डाटा में जोड़-तोड़ करने की संभावना उत्पन्न हो सकती है तथा राज्य सरकार एवं ए.जी. कार्यालय के बीच आंकड़े/डाटा भिन्न हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में, मासिक लेखे के समापन के पश्चात एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) में मासिक लेखे की फ्रीजिंग तथा उसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, यद्यपि इसका कार्यान्वयन किया जाना अभी बाकी है।

(ii) अप्राधिकृत शीर्ष का प्रचालन : वर्ष 2022-23 के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार ने पूंजी अनुभाग के अंतर्गत 02 अप्राधिकृत लघु शीर्ष के तहत बजट प्रावधान किया तथा इन शीर्षों में पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 130.00 करोड़ व्यय किया। मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।

(iii) बिना सलाह के लेखे के/नए उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष खोलना : भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार राज्य के लेखे को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के प्रपत्र अनुसार रखा जाना है। वर्ष 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधान महालेखाकार की सलाह के बिना जैसा कि भारत के संविधान के तहत आवश्यक है, बजट में 388 नए उप शीर्ष (राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 346, पूंजी अनुभाग के अंतर्गत 42) खोले। इन नए उप शीर्षों में से, 60 नए उप शीर्ष (राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 45, पूंजी अनुभाग के अंतर्गत 15) में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक

का बजट प्रावधान है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान इन शीर्षों में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2,153.86 करोड़ तथा पूंजी अनुभाग के अंतर्गत ₹ 6,464.54 करोड़ का व्यय किया। मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।

(iv) बजट प्रावधान के वर्णन में विसंगति एवं त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण : वर्ष 2022-23 हेतु राज्य सरकार के बजट दस्तावेज में लेखे के निम्नलिखित शीर्षों के संबंध में सही बजट प्रावधान तथा व्यय के वर्गीकरण का वर्णन नहीं हुआ है :

(क) मध्यप्रदेश सरकार ने पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय एवं राजस्व शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत व्यय का बजट प्रावधान किया है। राजस्व तथा पूंजी के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण कण्डिका 3(ii) राजस्व तथा पूंजी व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण में वर्णित किया गया है।

(ख) शासकीय लेखांकन नियमावली 1990 के नियमावली 26(घ) में अनुबंध है कि शासकीय लेखे में, लेखे शीर्ष का वर्गीकरण जैसा कि संघ तथा राज्य के लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में निर्धारित है का सख्ती से अनुपालन किया जाए। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने लेखे के विभिन्न उप-मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान किया जो संघ एवं राज्य के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुरूप नहीं है। अप्राधिकृत शीर्ष एवं इसके तहत किए गए व्यय का ब्यौरा कण्डिका 2(ii) – अप्राधिकृत शीर्ष के प्रचालन में वर्णित है।

(ग) संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखाशीर्षों की सूची के सामान्य निर्देशों के अंतर्गत कण्डिका 3.4 के अनुसार आरक्षित निधि/जमा लेखे से वित्त पोषित राशि राजस्व, पूंजी या ऋण अनुभाग में कार्यात्मक मुख्य/उप मुख्य शीर्ष जहां वास्तविक व्यय नामे रहता है के अंतर्गत कटौती प्रविष्टि के रूप में लघु शीर्ष 'कटौती – (आरक्षित लेखे/जमा लेखे का नाम) से पूरी की गई राशि' के अंतर्गत पृथक कोड '901, 902' इत्यादि में दर्शाई जायेगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में पृथक कोड (901) के प्रचालन के स्थान पर आरक्षित निधि/जमा लेखे से वित्त पोषित राशि के लिए कटौती प्रविष्टि दर्शाने के उद्देश्य से लघु शीर्ष/योजना जहां वास्तविक व्यय नामे रहता है के अंतर्गत बजट में विस्तृत शीर्ष 74-वसूलियों का प्रचालन किया है। फलस्वरूप लेखे के उन शीर्षों के अंतर्गत निवल व्यय वर्णित होता है। यह संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखाशीर्षों की सूची/लेखे का प्रारूप के अनुपालन में नहीं है।

3. समेकित/संचित निधि :

(i) वस्तु एवं सेवा कर : वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया। वर्ष 2021-22 में ₹ 22,028.52 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य जी.एस.टी. संग्रहण ₹ 23,396.79 करोड़ था, इस प्रकार ₹ 1,368.27 करोड़ (6.21 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें आई.जी.एस.टी. के अग्रिम प्रभाजन से सम्बंधित ₹ 937.01 करोड़ की राशि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, राज्य को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य को सौंपे गए निवल आगम के हिस्से के रूप में ₹ 21,064.17 करोड़ प्राप्त हुए। जी.एस.टी. के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 44,460.96 करोड़ थी। राज्य को वर्ष 2022-23 के दौरान जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 4,571.80 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा पूर्व वर्ष से संबंधित राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) की समायोजन प्रविष्टियां नहीं की गई थीं।

संगत आंकड़े वित्त लेखे के विवरण संख्या 14 में उपलब्ध है।

(ii) राजस्व एवं पूंजी व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण : वर्ष 2022-23 के दौरान मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्व अनुभाग के बजाय पूंजी अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2,381.92 करोड़ तथा पूंजी अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 3.92 करोड़ का व्यय त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय उस सीमा तक निवल न्यूनोक्त हुआ। राज्य के राजस्व व्यय पर गलत वर्गीकरण का प्रभाव पैरा 6 के अंतर्गत दिया गया है।

इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण 4, 5, 15 एवं 16 के आंकड़ों में है।

(iii) सी.सी.ओ.एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बीच प्राप्तियों तथा व्यय का पुनर्मिलान : सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश, द्वारा लेखाबद्ध किये गए आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का पुनर्मिलान करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रक अधिकारियों के बजाय निदेशालय कोष एवं लेखा, लेखा एवं हकदारी कार्यालय से आंकड़ों का प्राथमिक रूप से पुनर्मिलान कर रहा है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति राशि ₹ 1,77,121.05 करोड़ (समेकित निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियों का 67.00 प्रतिशत) तथा व्यय राशि ₹ 2,36,395.56 करोड़ (समेकित निधि के अंतर्गत कुल व्यय का 87.98 प्रतिशत) का पुनर्मिलान किया गया।

तुलना में, वर्ष 2021-22 अर्थात् गतवर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति राशि ₹ 1,64,260.33 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 87.59 प्रतिशत) तथा व्यय राशि ₹ 2,13,151.46 करोड़ (कुल व्यय का 94.72 प्रतिशत) का पुनर्मिलान किया गया।

(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत दर्ज राशियाँ : जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष की व्यवस्था न हो केवल तभी लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियां का संचालन किया जाना चाहिए। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को निरुत्साहित किया जाना चाहिए चूंकि, यह लेखा को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखे में ₹ 36,879.90 करोड़ लेखे के 67 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये जो कुल राजस्व तथा पूंजी व्यय (₹ 2,44,333.63 करोड़) का 15.09 प्रतिशत है। गत वर्ष के दौरान, लेखे में ₹ 31,934.23 करोड़ लेखे के 66 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये जो कुल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (₹ 2,21,794.41 करोड़) का 14.40 प्रतिशत था।

इसी प्रकार, लेखे में ₹ 9,366.41 करोड़ लेखे के 50 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये, जो कुल राजस्व प्राप्तियां (₹ 2,03,986.19 करोड़) का 4.59 प्रतिशत है। गत वर्ष के दौरान, लेखे में ₹ 9,371.07 करोड़ लेखे के 49 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये, जो कुल राजस्व प्राप्तियां (₹ 1,85,875.85 करोड़) का 5.04 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखा के 02 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 128.00 करोड़, उपयुक्त लघु शीर्ष के बजाय लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कुल निवेश (₹ 2,371.94 करोड़) का 5.40 प्रतिशत है। गत वर्ष के दौरान, लेखा के 4 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 488.12 करोड़ लेखा में लघु शीर्ष 190-निवेश के बजाय लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कुल निवेश (₹ 3,564.73 करोड़) का 13.69 प्रतिशत था।

इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण 14, 15 एवं 16 से है।

(v) **व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) लेखे में निधि का अंतरण :** पी.डी. लेखे मनोनीत आहरण अधिकारी को योजना के संबंध में विशिष्ट उद्देश्य हेतु व्यय करने के लिए सक्षम करते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 5,417.63 करोड़ की राशि इन पी.डी. लेखों में अंतरित की गयी। इसमें मार्च 2023 में अंतरण किए गए ₹ 888.00 करोड़ शामिल हैं, जिसमें से ₹ 200.00 करोड़ मार्च 2023 के अंतिम कार्य दिवस पर राज्य की संचित निधि से अंतरित किए गए। मार्च में अंतरित राशि, वर्ष के दौरान पी.डी. लेखे में राज्य की संचित निधि से कुल अंतरण का 16.39 प्रतिशत है।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 359 व 376 के अनुसार व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासक कोषालय से शेष का पुनर्मिलान तथा आवश्यक सत्यापन कर प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पहले कोषालय अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। कोषालय अधिकारी कोषालय अभिलेख से उक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन कर प्रत्येक वर्ष 31 मई तक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को शेष के सत्यापन का प्रतिवेदन प्रेषित करेगा।

व्यक्तिगत जमा लेखे के 281 प्रशासकों (814 में से) ने कोषालय आंकड़ों के साथ उनके शेषों का पुनर्मिलान कर सत्यापित किया तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अग्रवर्ती प्रस्तुतिकरण हेतु, 281 वार्षिक सत्यापन प्रमाण-पत्र कोषालय अधिकारियों को प्रस्तुत किये गए। व्यक्तिगत जमा लेखे के 533 प्रशासकों ने कोषालय अभिलेख से शेष का पुनर्मिलान तथा सत्यापन नहीं किया था। दिनांक 31.03.2023 तक के पी.डी. खातों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष		वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2022-23 के दौरान बंद/आहरण		31 मार्च 2023 को अंत शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
814	2,636.40	10	5,417.63*	03	5,700.45**	821	2,353.57#

* वर्ष के दौरान ₹ 5,417.63 करोड़ में से केवल ₹ 22.07 करोड़ 10 नए खुले पी.डी. लेखे से संबंधित है।

** वर्ष के दौरान ₹ 5,700.45 करोड़ में से केवल ₹ 0.18 करोड़ 03 बंद पी.डी.लेखे से संबंधित है।

बंद शेष में ₹ 0.01 करोड़ का अंतर पूर्णांक के कारण है।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता में व्यवस्था है कि प्रशासक उन योजना/परियोजना का विस्तृत लेखा रखेंगे, जिनके लिए इन्हें खोला गया है। हालांकि यदि कोई पी.डी. लेखा तीन वर्षों की अवधि हेतु संचालित नहीं किया गया है एवं विश्वास किये जाने का कारण है कि ऐसे जमा लेखों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो इसे बन्द किया जाएगा। ₹ 214.39 करोड़ शेष वाले 199 परिचालकों के व्यक्तिगत जमा तीन वर्षों से अधिक के लिए अप्रचलित हैं। राज्य सरकार को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है।

दिनांक 31.03.2022 तक के पी.डी. खातों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष		वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2021-22 के दौरान बंद/आहरण		31 मार्च 2022 को अंत शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
816	4,962.59	निरंक*	4,064.64	02	6,390.83	814	2,636.40

* कोई नया प्रशासक जोड़ा नहीं गया है तथा मौजूदा पी.डी. खाते में परिवर्धन किया गया।

संगत आंकड़े वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 में उपलब्ध है।

(vi) **असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिल** : राज्य सरकार ने दिनांक 02 सितम्बर 1999 को जारी आदेश द्वारा सभी विभागों हेतु ए.सी.बिल आहरण पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि राष्ट्रीय कैडेट कोर के संबंध में खेल और युवा कल्याण विभाग को ए.सी. बिल आहरण के लिए अनुमति (दिनांक 10 फरवरी 2009 को जारी आदेश द्वारा) दी गई। लेकिन राज्य सरकार ने दिनांक 24 मई 2013 के अपने आदेश के जरिए खेल और युवा कल्याण विभाग को राष्ट्रीय कैडेट कोर के संबंध में ए.सी.बिल आगे आहरण न करने के निर्देश दिये। डी.सी.सी. बिल के प्रस्तुतिकरण के लिए कोई भी असमायोजित ए.सी. बिल नहीं हैं। ए.सी.देयकों पर आहरण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई विकल्प पद्धति अंगीकार नहीं की गई है।

(vii) **सहायता अनुदान हेतु बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.)** : मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 से 184 के अनुसार, अनुदानग्राही को प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक या इससे पहले विभागीय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण-पत्र न जमा करने की स्थिति में वित्त लेखे में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने का जाखिम बना रहता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, वर्ष 2021-22 की अवधि तक की 177 बकाया यू.सी. से संबंधित ₹ 12,054.91 करोड़ समाशोधित किये गए। 31 मार्च 2023 को बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया यू.सी. की संख्या	राशि
2021-22 तक	19521	14,132.07
2022-23	416	4,739.50
योग	19937	18,871.57

* उपरोक्त वर्ष 'नियत वर्ष' से संबंधित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन 28 यू.सी. जिनकी राशि ₹ 1,813.79 करोड़ है जो वर्ष 2023-24 में देय होगा।

31 मार्च 2022 तक बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया यू.सी. की संख्या	राशि
2020-21 तक	19600	15,533.96
2021-22	514*	15,392.52
योग	20114	30,926.48

* मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक भुगतान किये गए अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 सितंबर 2022 को या उसके पूर्व देय होंगे।

इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III से है।

(viii) **ब्याज समायोजन** : सरकार, श्रेणी ज-आरक्षित निधि (क-ब्याज वाली आरक्षित निधियां) एवं ट-जमा तथा अग्रिम (क-ब्याज वाली जमा) के तहत शेष से संबंधित ब्याज के भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस प्रयोजन के लिए लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में विशिष्ट उप-मुख्य शीर्ष प्रदान किए गए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई इन निधियों/जमाओं एवं ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

निधि/जमा	01 अप्रैल 2022 को शेष	ब्याज के परिकलन हेतु आधार	देय ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज	ब्याज का कम भुगतान
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना	20.29	सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज की दर के अनुसार परिकलित ब्याज/ सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज की दर 7.1%	1.44	निरंक	1.44
राज्य क्षतिपूरक वनरोपण जमा	13.42	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार परिकलित ब्याज दर 3.35%	0.45	निरंक	0.45
राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि	6,739.78	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार परिकलित ब्याज दर 3.35%	225.78	निरंक	225.78
राज्य आपदा मोचन निधि	1,121.80	अधिविकर्षण दर में लागू दर पर परिकलित ब्याज (रेपो दर + 2%, जो 7.49% है)	84.02	4.72	79.30
राज्य आपदा शमन निधि	136.24	अधिविकर्षण दर में लागू दर पर परिकलित ब्याज (रेपो दर + 2%, जो 7.49% है)	10.20	9.78	0.42
		कुल	321.89	14.50	307.39

₹ 307.39 करोड़ ब्याज का भुगतान न होने से परिणामस्वरूप राजस्व व्यय की उस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई।

इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण संख्या 15, 21 एवं 22 के आंकड़ों से है।

(ix) सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति : मध्यप्रदेश सरकार वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियां, पिछले वर्ष की राज्य राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 01 अप्रैल 2022 को ₹ 35,005.52 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियां, वर्ष 2021-22 की राज्य राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,85,875.85 करोड़) का 18.83 प्रतिशत है एवं निर्धारित सीमा के अंदर है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 36.58 करोड़ प्राप्त हुए, जो 01 अप्रैल 2022 तक बकाया प्रत्याभूति राशि ₹ 4,566.75 करोड़ (01 अप्रैल 2022 तक बकाया प्रत्याभूति ₹ 35,005.52 करोड़ में से मुक्त की गयी प्रत्याभूति ₹ 30,438.77 करोड़ घटाकर) का 0.80 प्रतिशत था। मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग के दिनांक 06.01.2010 की अधिसूचना के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के एवज में एकमुश्त प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क की वसूली हेतु विभिन्न दरें¹ निर्दिष्ट की गयी हैं। वर्ष 2022-23 हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क ₹ 112.09 करोड़ है।

संबंधित आंकड़े वित्त लेखे के विवरण 9, 14 एवं 20 में उपलब्ध हैं।

¹ 1 वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्याभूति की दर-1 प्रतिशत, 1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत, 3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक-4 प्रतिशत, 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक-7.5 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक-10 प्रतिशत

(x) **पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय** : राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण पर किए गए व्यय को लेखा के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के स्तर तक वित्त लेखे में दर्शाया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुदान 04-पर्यावरण के अंतर्गत मुख्यशीर्ष 2215 एवं 2217 के अन्तर्गत ₹ 22.15 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹ 14.21 करोड़ का व्यय किया गया। गत वर्ष 2021-22 के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार ने अनुदान संख्या 57-पर्यावरण के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215, 2217 एवं 4217 के अंतर्गत ₹ 25.25 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹ 25.03 करोड़ व्यय किया गया।

इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण 15 एवं 16 से है।

(xi) **केन्द्रीय ऋणों का बट्टे खाते में डालना** : तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2012 के सभी आदेशों, की श्रृंखला द्वारा केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अग्रिमों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) से किए गए मूलधन और ब्याज की अधिक पुनर्भुगतान को समायोजित करने और वित्त मंत्रालय को भविष्य में किये जाने वाले पुनर्भुगतान के विरुद्ध इसके कार्यान्वयन की अनुमति दी है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 31 मार्च 2012 की समाप्ति तक ₹ 49.85 करोड़ (मूलधन ₹ 24.35 करोड़ एवं ब्याज ₹ 25.50 करोड़) का अधिक पुनर्भुगतान किया गया था, जिसमें से, वित्त मंत्रालय ने अभी तक ₹ 25.78 करोड़ समायोजित किए हैं।

इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण 17 से है।

(xii) **राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण** : 31 मार्च 2023 तक राशि ₹ 1,659.63 करोड़ के पुराने ऋण, जिसमें 29 विभागों द्वारा अपनी एजेंसियों को दिये गये ऋण तथा 10 वर्ष से अधिक की अवधि के ऋण शामिल है, के संबंध में मूलधन की वसूली पिछले कई वर्षों के दौरान प्रभावी नहीं हुई है।

राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निकायों/अन्य इकाइयों को ऋण जिसके लिए ऋण के पुनः भुगतान के निबंधन एवं शर्तें नहीं बनाई गई हैं, का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा वार्षिक रूप से ऋण शेष (जहां प्रधान महालेखाकार द्वारा विस्तृत लेखा संधारित किया जाता है) सत्यापन एवं स्वीकृति हेतु ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को अग्रेषित किये जाते हैं, हालांकि किसी ऋणी ने शेषों की पुष्टि नहीं की है। शेषों के पुनर्मिलान हेतु विभागीय/कोषालय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-VII में उपलब्ध कराया गया है।

इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण 7 एवं 18 से है।

(xiii) **प्रतिबद्ध देनदारियां** : बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंध में, प्रोद्भवन आधारित लेखांकन की ओर बढ़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्रवाई करने हेतु पहल की गई है। चूंकि यह पारगमन चरणों में होगा, लेखांकन के प्रोद्भवन आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए, निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विवरण के रूप में अतिरिक्त जानकारी को नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्ध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदाय की गई है, जो कि अपूर्ण है तथा जिसे उस सीमा तक परिशिष्ट-XII में शामिल किया गया है।

(xiv) **ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का पुनर्गठन** : योजना/गैर योजना के विलय के परिणामस्वरूप, जारी

केन्द्रीय सहायता को अब केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता/शेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दर्ज कुल व्यय ₹ 47,828.59 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 25,271.47 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹ 22,557.12 करोड़) है, जिसमें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता तथा राज्यांश में से व्यय शामिल है।

इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण 15 एवं 16 से है।

(xv) राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट से बाहर उपलब्ध कराई गई निधि) : सी.जी.ए. के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं/लाभार्थियों को ₹ 27,112.51 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए।

क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण में, वर्ष 2021-22 की तुलना में 373.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वर्ष 2021-22 में ₹ 3,430.09 करोड़ से वर्ष 2022-23 में ₹ 16,249.12 करोड़)। विवरण परिशिष्ट-VI में उपलब्ध है।

(xvi) राज्य सरकार की ऑफ बजट देनदारियां : राज्य सरकार द्वारा उनके बजट दस्तावेजों में ऑफ बजट देनदारियों का प्रकटीकरण नहीं किया गया।

ऑफ बजट उधार लेना सरकार की जिम्मेदारी/देनदारी है, क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से सरकारी बजट के माध्यम से राज्य इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है। वे राजकोषीय संतुलन को प्रभावित करते हैं। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऑफ बजट उधारियों के लेखे पर सहायता/अनुदान के रूप में ₹ 564.40 करोड़ उपलब्ध कराए गए। सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान कोई प्रत्याभूति प्रदत्त नहीं की।

(xvii) सिंगल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को निधि अंतरण : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं.1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी निधि के उपयोग की निगरानी तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के अंतर्गत निधि के जारी होने की प्रक्रिया अधिसूचित की थी। राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रत्येक सी.एस.एस. हेतु एस.एन.ए. की अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापना की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार को अपने लेखे में प्राप्त केन्द्रांश को संबंधित राज्यांश के साथ संबंधित एस.एन.ए. के खाते में अंतरण करना होता है।

राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 के दौरान अपने कोषालय लेखे में केन्द्रांश ₹ 21,237.40 करोड़ प्राप्त हुआ। 31 मार्च, 2023 को राज्यांश ₹ 15,603.02 करोड़ था, सरकार द्वारा कोषालय लेखे में प्राप्त ₹ 19,883.83 करोड़ का केन्द्रांश तथा एस.एन.ए. को ₹ 14,298.04 करोड़ का राज्यांश अंतरित किया गया। महालेखाकार कार्यालय को एस.एन.ए. से वास्तविक व्यय के विस्तृत प्रमाणक तथा समर्थित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। राज्य सरकार/एस.एन.ए. द्वारा सूचित किया गया कि 31 मार्च 2023 तक एस.एन.ए. के बैंक खाते में ₹ 12,081.03 करोड़ अव्ययित पड़े हुए हैं।

4. आकस्मिकता निधि : मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम 1957 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि से निधि की अभिरक्षा, उससे धनों के भुगतान और उसमें से धनों के आहरण से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने हेतु मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1957 बनाये गये। मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि का कोष ₹ 1,000 करोड़ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के प्रावधानों का

उल्लंघन करते हुए, ₹ 10.00 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध आकस्मिकता निधि से ₹ 29.40 करोड़ का व्यय (मुख्य शीर्ष 2013 – मंत्री परिषद) किया गया। ₹ 19.40 करोड़ के आधिक्य आहरण की 31 मार्च, 2023 तक राज्य की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	राशि
1.	2013-मंत्री परिषद	19.40

31 मार्च 2023 तक समेकित निधि में ₹ 980.60 करोड़ का शेष है।

संदर्भित आंकड़े वित्त लेखे के विवरण 1, 2 तथा 21 में उपलब्ध हैं।

5. लोक लेखा :

(i) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)** : लेखांकन प्रक्रिया में अनुबंध है कि एन.पी.एस. अंशदान प्रथम उदाहरण के रूप में मुख्य शीर्ष 8342 में क्रेडिट किया जाता है तथा वहाँ से, यह एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंकों में जाता है। राज्य सरकार उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रही है तथा मुख्य शीर्ष 8342 के स्थान पर मुख्य शीर्ष 0071 प्रयोग कर रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना का कुल अंशदान ₹ 5,862.80 करोड़ था (कर्मचारी अंशदान ₹ 2,472.56 करोड़ तथा शासकीय अंशदान ₹ 3,390.24 करोड़)। वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 में शासकीय अंशदान पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। सरकार ने संपूर्ण अंशदान की राशि को मुख्यशीर्ष 0071 के अंतर्गत लघुशीर्ष 500-‘अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियों’ को अंतरित कर दिया है, तथा ₹ 5,865.24 करोड़ वर्ष के दौरान एन.एस.डी.एल. को अंतरित किये गए, जो कि वर्ष के दौरान कुल अंशदान से अधिक है।

(ii) (अ) ब्याज वाली आरक्षित निधियां

(क) **राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)** : राज्य आपदा मोचन निधि के गठन तथा प्रचालन पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में (मुख्यशीर्ष '8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत जो कि ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत हैं) केन्द्र तथा राज्य सरकार को 75:25 के अनुपात में निधि का अंशदान करने की आवश्यकता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में ₹ 1,528.80 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार का अंशदान वर्ष के दौरान ₹ 509.60 करोड़ है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-122-राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अंतर्गत ₹ 2,043.12 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 1,528.80 करोड़ एवं एस.डी.आर.एफ. का राज्यांश ₹ 509.60 करोड़ तथा ₹ 4.72 करोड़ का ब्याज) अंतरित किए गए। राज्य को एन.डी.आर.एफ. के विरुद्ध केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

(ख) **राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.)** : राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 48(i)(ग) के अंतर्गत गठित किया जाना है। यह निधि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विनिर्दिष्ट स्थानीय आपदा तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशा निर्देशों के अंतर्गत आने वाले आपदा के संबंध में विशेषतः शमन योजना के प्रयोजन हेतु है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना सं. आर.सी./VII/एस-8/2021-22/345 दिनांक 29.06.2021 के जरिए मुख्यशीर्ष 8121-130-राज्य आपदा शमन निधि के अंतर्गत एस.डी.एम.एफ. का सृजन किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को ₹ 191.10 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का अंश ₹ 63.70 करोड़ है। संपूर्ण राशि (केन्द्रांश ₹ 191.10 करोड़, राज्यांश ₹ 63.70 करोड़ एवं ₹ 9.78 करोड़ ब्याज) निधि में अंतरित की गई है।

(ग) राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति वनरोपण आरंभ करने हेतु उपयोगकर्ता संस्थाओं से प्राप्त राशि के लिए राज्य के लोक लेखे में ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि स्थापित करना आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने पुष्टि की कि उपयोगकर्ता संस्थाओं द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय कैम्पा निधि में सीधे ₹ 625.24 करोड़ जमा किए गए। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण जमा से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। 31 मार्च 2023 तक राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि में कुल शेष ₹ 6,739.99 करोड़ था।

लेखे के अनुसार ₹ 0.22 करोड़ तथा ₹ 8.84 करोड़ की राशि क्रमशः मुख्य शीर्ष 8121-129-राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि तथा मुख्य शीर्ष 8336-103-‘राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण’ जमा के अंतर्गत जमा किए गए हैं।

(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां :

(क) समेकित ऋण शोधन निधि : मध्य प्रदेश सरकार ने ऋण के परिशोधन हेतु समेकित ऋण शोधन निधि अभी तक गठित नहीं की है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों को पिछले वर्ष की समाप्ति पर उनकी बकाया देनदारियों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत समेकित ऋण शोधन निधि में अंशदान करने की आवश्यकता है।

(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि : मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27.01.2006 के द्वारा वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किया जाता है। योजनानुसार, राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष में प्रत्याभूति शुल्क के रूप में एकत्र हुई राशि के साथ उस प्रत्याभूति शुल्क के बराबर की राशि राज्य सरकार द्वारा एक समान अंशदान का अंतरण इस निधि में किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा राज्य सरकार समय-समय पर कोई भी राशि इस निधि में अंतरित कर सकता है। वर्ष के दौरान, सरकार ने निधि में ₹ 31.44 करोड़ (बकाया अंशदान) के विरुद्ध केवल ₹ 15.72 करोड़ का अंशदान किया, जिससे राजस्व व्यय में उतनी न्यूनोक्ति हुई। 31 मार्च 2023 तक निधि का कुल संचय ₹ 1,051.16 करोड़ था (31 मार्च 2022 तक ₹ 1,035.44 करोड़)।

निधि में संव्यवहार वित्त लेखे के विवरण 21 एवं 22 में प्रदर्शित किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) : भारत सरकार के राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 31.03.2018 द्वारा भूतपूर्व केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) का नाम परिवर्तित कर केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि रखा गया है। सी.आर.आई.एफ. राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास एवं संधारण, रेलवे योजनाओं, रेलवे में सुरक्षा के सुधार, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अवसंरचनाओं आदि के लिए प्रयोग होगा।

वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में, राज्य को केन्द्र से प्राप्त अनुदानों को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात प्राप्त राशि को क्रियात्मक मुख्यशीर्ष के माध्यम से लोक लेखे के अंतर्गत मुख्यशीर्ष 8449-103-सी.आर.आई.एफ. के संसहायिकी के अंतर्गत किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को सी.आर.आई.एफ. के विरुद्ध ₹ 573.96 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। लोक लेखे में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि प्रचालित नहीं की जाती है। हालांकि वर्ष 2022-23 में अनुदान 24-लोक निर्माण कार्य, योजना कोड 0948-केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत ₹ 800 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध ₹ 725.69 करोड़ व्यय किया गया। ₹ 573.96 करोड़ के अनुदान का व्यय प्रत्यक्ष रूप से लोक लेखे के माध्यम से बिना क्रम के किया गया।

(iii) उचंत एवं प्रेषण शेष : वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रदर्शित करते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया नामे एवं जमा शेषों को पृथक-पृथक समेकित कर निकाला गया है, 31 मार्च 2023 तक मुख्यशीर्ष 8658 के अंतर्गत ₹ (-) 573.26 करोड़ (नामे) तथा मुख्यशीर्ष 8782 के अंतर्गत ₹ 6,402.02 करोड़ (जमा) बकाया शेष था (31 मार्च 2022 तक ₹ 5,750.60 करोड़)।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का निराकरण नहीं किये जाने से राज्य सरकार के लेखों (जिन शेषों को प्रतिवर्ष अग्रेषित किया जाता है) के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों तथा शेषों की शुद्धता प्रभावित होती है।

(iv) चैक तथा बिल : मुख्यशीर्ष 8670 चैक और बिल के अंतर्गत जमा शेष ऐसे चेकों की ओर इंगित करता है जो जारी किये गये परन्तु उनका नगदीकरण नहीं किया गया। 01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष ₹ 629.31 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 1,81,939.43 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिसके विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹ 1,80,810.92 करोड़ का नकदीकरण किया गया, जिससे 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,757.81 करोड़ (जमा) का अंत शेष रह गया। अंत शेष, विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 तक मध्यप्रदेश सरकार का कोई नकद बहिर्गमन नहीं हुआ है।

(v) अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार : मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 के नियम 3(2) के अनुसार, गत वर्ष में संग्रहित ऊर्जा विकास उपकर, आगामी वर्ष में निधि में अंतरित किये जाने चाहिये। वर्ष 2021-22 के दौरान, ऊर्जा विकास उपकर के रूप में संग्रहित ₹ 889.02 करोड़ में से राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष ऊर्जा विकास निधि में ₹ 500 करोड़ अंतरित किये गए। इससे उस सीमा तक (₹ 389.02 करोड़) राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति हुई, वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने ऊर्जा विकास उपकर के रूप में ₹ 710.29 करोड़ संग्रहीत किये।

(vi) प्रतिकूल शेष : वर्ष के दौरान लेखे में प्रदर्शित ऋणात्मक शेष नीचे दिये गये हैं। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण इन शीर्षों के अंतर्गत ऋणात्मक शेष परिलक्षित हो रहे हैं एवं समीक्षा/सुधार के अधीन हैं :

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
8342-120	विविध जमा	155.76
8443-109	वन जमा	3.45
8443-111	अन्य विभागीय जमा	21.79

(vii) रोकड़ शेष : प्रधान महालेखाकार के अभिलेख के अनुसार 31 मार्च 2023 तक रोकड़ शेष ₹ 4,969.81 करोड़ (जमा) तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित किया गया ₹ 119.04 करोड़ (नामे) था। ₹ 4,850.77 करोड़ (जमा) का निवल अंतर मुख्यतः एजेंसी बैंकों तथा कोषालय अधिकारियों के द्वारा

लेन-देनों की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के कारण था। माह जून 2023 तक ₹ (-) 80.05 करोड़ की नामे की मदों तथा ₹ 3,144.43 करोड़ की जमा की मदों का पुनर्मिलान किया गया है जिसके फलस्वरूप 30 जून 2023 को निवल अंतर घटकर ₹ 1,626.30 करोड़ (जमा) रह गया था।

प्रधान महालेखाकार के अभिलेख के अनुसार 31 मार्च 2022 को नकद शेष ₹ 1,117.71 करोड़ (जमा) था तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित किया गया नकद शेष ₹ 157.02 करोड़ (नामे) था। ₹ 960.69 करोड़ (जमा) का निवल अंतर मुख्यतः एजेंसी बैंकों तथा कोषालय अधिकारियों के द्वारा लेन-देनों की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के कारण है।

31 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य रोकड़ शेष में सी.एस.एस. हेतु राज्य द्वारा 10 मार्च 2023 तक प्राप्त केन्द्रांश ₹ 23,197.61 करोड़ का रोकड़ शेष भी शामिल है। इस राशि को उपयोग करने हेतु राज्य सरकार को प्रतिबंधित किया गया है तथा उस राशि का अंतरण 21 दिनों के अंदर प्रत्येक सी.एस.एस. लेखा की सिंगल नोडल एजेंसी में किया जाना आवश्यक था। गत वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक की तुलनात्मक स्थिति में उक्त राशि ₹ 19,550.85 करोड़ थी।

6. त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रभाव : राज्य के वित्त पर सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन न करने / त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का राजस्व व्यय पर प्रभाव, जैसा कि पूर्ववर्ती कण्डिकाओं में प्रदर्शित है, नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

(₹ करोड़ में)

कण्डिका क्र.	मद	राजस्व व्यय पर प्रभाव	
		आधिक्य	न्यूनोक्ति
3(ii)	राजस्व और पूंजी के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	--	2,378.00
3(viii)	ब्याज का भुगतान न करना	--	307.39
5(ii)(ब)(ख)	प्रत्याभूति विमोचन निधि	--	15.72
5(v)	अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार	--	389.02
	योग (निवल) प्रभाव	--	3,090.13

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/gwalior-i/hi>